



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2019/ आषाढ़ 6, 1941

No. 224]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2019/ASHADHA 6, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

फा. सं. 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी(लेबलिंग)/-2014(भाग 2).—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का अतिक्रमण करने के लिए कतिपय विनियमों, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, बनाने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा 92 की उप-धारा (2) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) विनियम, 2019

अध्याय 1**सामान्य**

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन** - इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) विनियम, 2019 कहा जा सकता है।
- (2) ये विनियम पूर्व पैकेजबंद खाद्य पदार्थों की लेबलिंग अपेक्षाएँ और उनके उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और भंडारण के परिसरों संबंधी अनिवार्य सूचनाओं का प्रदर्श निर्धारित करते हैं।
- (3) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे तथा खाद्य कारोबार चालक को इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से न्यूनतम 180 दिनों के पश्चात 1 जनवरी या 1 जुलाई से, विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

2. परिभाषाएँ: (1) इन विनियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

1. **'अधिनियम'** से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है।
2. **'मिश्रित पैक'** से वह खुदरा पैक अभिप्रेत है जिसमें विभिन्न पूर्व पैकेजबंद वस्तुओं की कई इकाइयाँ हों, बशर्ते कि वह विनियम 4.1 (8) में निर्दिष्ट सामान्य लेबलिंग अपेक्षाओं के अनुरूप हो।
3. **'से पूर्व बेहतर तिथि'** से वह तिथि अभिप्रेत है, जिससे भंडारण की कथित अवस्थाओं के अंतर्गत उस अवधि की समाप्ति का संकेत मिलता है जिसके दौरान उत्पाद पूरी तरह विपणनीय बना रहेगा और उन विशिष्ट गुणताओं को बनाए रखेगा जिनके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दावे किए गए हों। उस तिथि के बाद भी खाद्य मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हो सकता है, परंतु उसकी गुणता कम हो सकती है।
4. **'मिश्र खाद्य'** से वह खाद्य अभिप्रेत है, जिसे एक से अधिक वस्तु/खाद्य से बनाया गया हो।
5. **'उत्पादन की तिथि'** से वह तिथि अभिप्रेत है, जब खाद्य यथाउल्लिखित उत्पाद बन जाए।
6. **'पैकिंग की तिथि'** से वह तिथि अभिप्रेत है, जिस तिथि को खाद्य उत्पाद को उस धारक में डाल दिया जाए जिसमें अंततः वह बेचा जाएगा।
7. **'ई-कामर्स'** से वस्तुओं और सेवाओं को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीदना और बेचना अभिप्रेत है।
8. **'कैटरिंग प्रयोजनार्थ खाद्य'** से रेस्टोरेंटों, कैटीनों, स्कूलों, अस्पतालों, द्रुत सेवा रेस्टोरेंटों (क्यू.एस.आर.), गृह सेवा प्रचालकों, कैटरों और मिलती-जुलती संस्थाओं में उपयोग के लिए खाद्य अभिप्रेत हैं, जहाँ खाद्य को तुरत सेवन के लिए परोसा जाता है।
9. **'उच्च वसा, शर्करा, लवण (एच.एफ.एस.एस.) खाद्य'** से वह प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद अभिप्रेत है, जिसमें संतृप्त वसा अथवा ट्रांस वसा अथवा मिलाई गयी शर्करा अथवा सोडियम उच्च मात्रा में हों। इन संघटकों के घोषित मान इतने होते हैं कि उत्पाद में कुल शर्करा का ऊर्जा मान (kcal) कुल ऊर्जा के 10 प्रतिशत से कम अथवा ट्रांस फैटों की ऊर्जा कुल ऊर्जा के 1 प्रतिशत पर खरी नहीं उतरती; अथवा उसमें संतृप्त वसा अथवा सोडियम इन विनियमों की अनुसूची-1 में विहित सीमाओं से अधिक होते हैं।
10. **'शिशु'** से 12 माह से अनधिक उम्र का बच्चा अभिप्रेत है।
11. **'लेबलिंग'** से वह लिखित, मुद्रित अथवा ग्राफीय सामग्री अभिप्रेत है, जो खाद्य के लेबल पर अंकित हो अथवा जिसे खाद्य के पास प्रदर्शित किया जाए, जिसमें उसकी बिक्री अथवा वितरण को बढ़ावा देने वाली सामग्री शामिल हो।

12. **"राशि संख्या" अथवा "कोड संख्या" अथवा "खेप संख्या"** से लेबल पर घोषित पहचान का वह चिह्न अभिप्रेत है, जो संख्याओं, वर्णों अथवा दोनों से मिलकर बना होता है, जिससे पहले वह "राशि संख्या" अथवा "कोड संख्या" अथवा "खेप संख्या" अंकित होती है, जिसके माध्यम से खाद्य के उत्पादन और वितरण का स्रोत खोजा जा सके।
13. **"बहु-इकाई पैकेज"** से वह पैकेज अभिप्रेत है, जिसमें समान निवल गुणता की एक ही खाद्य वस्तु की दो या अधिक अलग-अलग पैकेजबंद अथवा लेबल लगी इकाइयाँ हों, जो अलग-अलग इकाइयों में अथवा पैकेज के रूप में समग्र रूप में खुदरा बिक्री के लिए आशयित हों और प्रदर्शित की गई हों।
14. **"गैर-खुदरा धारक"** से वह धारक अभिप्रेत है, जो उपभोक्ता को सीधे बिक्री हेतु पेश किए जाने के लिए आशयित नहीं होता। ऐसे धारक में खाद्य एक ही प्रकार का होता है, पूर्व-पैकेजबंद होता है अथवा नहीं होता है, और कारोबार के आगे के कार्यों अथवा प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए आशयित होता है।
15. **"मांसाहार"** से वह खाद्य वस्तु अभिप्रेत है, जिसमें कोई साबुत जीव अथवा उसका कोई अंग होता है, जिसमें पक्षी, कीट, ताजा पानी के अथवा समुद्री जीव अथवा किसी पशु मूल के अंडे अथवा उत्पाद शामिल होते हैं, परंतु जिसमें दूध, दुग्ध उत्पाद, शहद अथवा मोम अथवा कारनोबा मोम अथवा शैलैक मोम शामिल नहीं होता।
16. **"पैकेज/धारक"** से वह पूर्व पैकड बॉक्स, बोतल, पेटी, टिन, बैरल, केस, थैली, आधान, बोरा, थैला, रैपर अथवा ऐसी अन्य चीजें अभिप्रेत हैं जिनमें कोई खाद्य वस्तु पैक की जाती है;
17. **"अनुशंसित आहार मान (आर.डी.ए)"** से आहारीय ऊर्जा और पोषक तत्वों की वह मात्रा अभिप्रेत है, जो देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है।
टिप्पणी : इन विनियमों के प्रयोजन के लिए आर.डी.ए. के आई.सी.एम.आर. आहार दिशा-निर्देशों में दिए गए मान लागू होंगे। किसी पोषक तत्व का भारतीय आर.डी.ए. उपलब्ध न होने पर कोडेक्स/डब्ल्यू.एच.ओ. दिशा-निर्देशों में दिए गए मान लागू होंगे।
18. **"पूर्व-पैकेजबंद खाद्य"** से वह खाद्य अभिप्रेत है, जिसे किसी भी प्रकार के पैकेज में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी सामग्री को उसे छेड़े बिना न बदला जा सके और जो उपभोक्ता को बिक्री के लिए तैयार होता है।
टिप्पणी : इन विनियमों में जहाँ भी "पैकेज" पद आए, उसे पूर्व-पैकेजबंद खाद्य वस्तु वाला पैकेज माना जाएगा।
19. **"प्रमुख प्रदर्श पैनल"** से धारक/पैकेज का वह भाग अभिप्रेत है, जिसे प्रदर्शित किया जाना अथवा प्रस्तुत किया जाना अथवा दिखाया जाना अथवा उसे उसमें धारित खाद्य वस्तु के प्रदर्श, बिक्री अथवा क्रय की सामान्य और प्रचलित अवस्थाओं के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा जाँचा जाना आशयित अथवा संभावित हो।
20. **"खुदरा पैक"** अथवा "खुदरा इकाई" से वे पैकेज अभिप्रेत हैं, जो उनमें धारित खाद्य के उपभोग के लिए अंत्य उपभोक्ता को बिक्री के लिए आशयित हों।
21. **"तक उपयोग करें" अथवा "समाप्ति"** से वह तिथि अभिप्रेत है, जिससे व्यक्त भंडारण अवस्थाओं के अंतर्गत अनुमानित अवधि की समाप्ति का संकेत मिलता है और जिसके बाद उत्पाद सुरक्षित नहीं रह सकता है और खाद्य को मानव उपभोग के लिए बेचा अथवा वितरित नहीं किया जा सकता।
22. **"शाकाहार"** से इन विनियमों में परिभाषित मांसाहार को छोड़कर खाद्य की कोई वस्तु अभिप्रेत है।

(2) यहाँ प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम, नियमों अथवा उनके अंतर्गत बने विनियमों में परिभाषित, अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अर्थ होगा, जो उनके लिए क्रमशः अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों में विहित हो।

3. एफ.एस.एस.ए.आई विनियमों के क्रियान्वयन/इनकी व्याख्या से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान करने के लिए कोई आंतरिक प्रणाली स्थापित कर सकती है।

अध्याय - 2

लेबलिंग

4. पूर्व पैकेजबंद खाद्य पदार्थों की लेबलिंग

4.1 सामान्य अपेक्षाएँ.-

1) जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, प्रत्येक पूर्व पैकेजबंद खाद्य पर इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना वाला लेबल लगा होगा।

2) किसी खाद्य उत्पाद को ई-कॉमर्स अथवा सीधे बिक्री के किसी अन्य माध्यम से बेचे जाने पर इन विनियमों में विहित लेबल की अनिवार्य अपेक्षाएँ उपभोक्ता को बिक्री से पूर्व उपयुक्त माध्यम से उपलब्ध कराई जाएँगी।

3) पूर्व पैकेजबंद खाद्य को किसी लेबल पर अथवा किसी लेबलिंग में किसी ऐसी रीति से उल्लिखित अथवा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो असत्य, भ्रामक अथवा कपटपूर्ण हो अथवा जिससे उसके लक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना हो।

4) लेबल पर लिखित, मुद्रित, अथवा ग्राफीय रूप में प्रस्तुत कोई सूचना अथवा चित्रात्मक युक्ति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह इन विनियमों की अपेक्षाओं के प्रतिकूल न हो।

5) इन विनियमों के अंतर्गत लेबल पर मुद्रित घोषणा के विवरण अंग्रेजी में अथवा देवनागरी लिपि में हिंदी में होंगे:

परंतु यह कि यहाँ उल्लिखित कोई शर्त इस विनियम के अंतर्गत अपेक्षित भाषा के अतिरिक्त किसी और भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी:

परंतु यह भी कि ऐसी किसी अन्य भाषा में दी गई सूचना लेबल पर अंग्रेजी या हिंदी में दी गई सूचना के विपरीत नहीं होगी।

6) पूर्व पैकेजबंद खाद्य पर लेबल इस प्रकार लगाया जाएगा कि वह धारक से अलग न होने पाए।

7) खरीद तथा बिक्री की सामान्य अवस्थाओं के अंतर्गत लेबल की सामग्री स्पष्ट, असंदिग्ध, प्रमुख स्थान पर, दृश्यमान, अमिट और उपभोक्ता के लिए सुबोध हो।

8) किसी पैकेज के ऊपर कोई धारक अथवा रैपर होने और ऐसा धारक अथवा रैपर खुदरा बिक्री के लिए प्रदर्शित किए जाने पर उस पर वे सभी घोषणाएँ हों जो पैकेज पर होनी अपेक्षित हों सिवाय तब जब स्वयं ऐसा धारक अथवा रैपर पारदर्शी हो और पैकेज(जों) की घोषणाएँ ऐसे बाहरी धारक अथवा रैपर में से आसानी से पढ़ी जा सकें।

टिप्पणी : इस खंड के प्रयोजन के लिए कई खुदरा इकाइयों वाले बहु-इकाई पैकेज के मामले में इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित घोषणाओं से युक्त कम से कम एक खुदरा इकाई का लेबल दृश्यमान हो।

4.2 लेबलिंग अपेक्षाएँ.- विनियम 4.1 में विहित सामान्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक पैकेज के लेबल पर निम्नलिखित सूचनाएँ भी हों, अर्थात्,-

1) **खाद्य का नाम** : खाद्य के नाम से पैकेज के खाद्य की सही प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए।

क) जब कोई खाद्य, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अंतर्गत किसी ऐसे विशिष्ट अनिवार्य संघटन से उल्लिखित हो जिससे उसकी पहचान स्थापित होती हो, तो उसमें दिए गए नाम का प्रयोग किया जाएगा।

- ख) ऐसा कोई नाम विहित न होने पर किसी सामान्य अथवा आम नाम का उपयोग किया जाएगा अथवा उसके साथ खाद्य की सही प्रकृति बताने वाला विवरण होगा। इसके अतिरिक्त उस पर "आविष्कृत", "फैंसी", "ब्रांड" अथवा "ट्रेड नाम" भी हो सकता है।

2) संघटकों की सूची : एकल संघटक वाले खाद्यों को छोड़कर लेबल पर संघटकों की सूची निम्नलिखित रीति से दी जाए:-

- क) संघटकों की सूची का उपयुक्त शीर्षक, यथा "संघटक/संघटकों की सूची", हो।
- ख) सूची में उत्पाद में प्रयुक्त संघटकों के नाम उसके उत्पादन के समय भार अथवा आयतन, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार संघटनों के अवरोही क्रम से दिए जाएँ।
- ग) किसी खाद्य में कच्ची सामग्री अथवा अन्य संघटकों, जिनमें खाद्य सहयोज्य पदार्थ डाले गए थे, के उपयोग के परिणामस्वरूप कोई प्रौद्योगिक कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शामिल खाद्य सहयोज्य पदार्थ को संघटकों की सूची में शामिल किया जाएगा।
- घ) संघटकों की सूची में संघटकों के विशिष्ट नामों का उपयोग किया जाएगा:
परंतु संबंधित श्रेणियों में आने वाले संघटकों के लिए निम्नलिखित श्रेणी शीर्षकों का उपयोग किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	श्रेणी का नाम	श्रेणी शीर्षक
1.	खाद्य वनस्पति तेल	खाद्य तेल विशेष का नाम दिया जाए, यथा सरसों का तेल, मूँगफली का तेल इत्यादि
2.	खाद्य वनस्पति वसा	वनस्पति वसा की किस्म का नाम (अंतरएस्टरीकृत वनस्पति वसा, हाइड्रोजनीकृत तेल, अंशतः हाइड्रोजनीकृत तेल, मार्गरीन और वसा स्प्रेड, यथा मिश्र वसा स्प्रेड, वनस्पति वसा स्प्रेड) दिया जाए
3.	दुग्ध वसा को छोड़कर पशु वसा/तेल	वसा के स्रोत का नाम दिया जाए
4.	मांड, रासायनिक रूप से शोधित मांडों को छोड़कर	मांड
5.	मछली के किसी अन्य खाद्य का संघटक होने पर मछली की सभी प्रजातियाँ; परंतु ऐसे खाद्य की लेबलिंग और प्रस्तुति में मछली की प्रजातियों का हवाला न हो	मछली
6.	मांस के किसी अन्य खाद्य का संघटक होने पर सभी प्रकार के मांस; परंतु ऐसे खाद्य की लेबलिंग और प्रस्तुति में किसी मांस विशेष का हवाला न हो	मांस के स्रोत का नाम दिया जाए
7.	पनीर अथवा पनीर मिश्रण के किसी अन्य खाद्य का संघटक होने पर सभी प्रकार के पनीर; परंतु ऐसे खाद्य की लेबलिंग और प्रस्तुति में किसी पनीर विशेष	पनीर

	का हवाला न हो	
8.	सभी मसाले और कंडीमेंट और उनके सत्त	मसाला और कंडीमेंट अथवा मिश्र मसाला/कंडीमेंट, जो भी उपयुक्त हो
9.	च्युइंग गम के लिए गोंद आधार के उत्पादन के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के गोंद अथवा निर्मितियाँ	गम बेस
10.	निर्जल डेक्स्ट्रोज और डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट	डेक्स्ट्रोज अथवा ग्लुकोज
11.	सभी प्रकार के सूक्रोज	शर्करा
12.	सभी प्रकार के केसीनेट	केसीनेट
13.	प्रेस, एक्स्पेलर अथवा परिशोधित कोको बटर	कोको बटर
14.	सभी क्रिस्टलित फल/सब्जियाँ	क्रिस्टलित फल/सब्जी
15.	सभी प्रकार के दूध और केवल दूध से व्युत्पन्न दुग्ध उत्पाद	दुग्ध ठोस पदार्थ (स्रोत भी बताया जाए)
16.	कोको बीन, कोको निब, कोको मास, कोको प्रेस केक, कोको पाउडर (महीन/धूलन)	कोको ठोस पदार्थ
17.	सभी विटामिन	विटामिन
18.	सभी खनिज और लेश तत्व	खनिज

ड) कोई संघटक दो या अधिक संघटकों का उत्पाद होने पर संघटकों की सूची में ऐसे सम्मिश्र संघटक की उसी रूप में घोषणा की जाए, परंतु उसके तुरंत बाद कोष्ठक में अनुपात (द्रव्यमान अनुसार) के अवरोही क्रम से संघटकों की सूची दी जाए;

परंतु सम्मिश्र संघटक के खाद्य के 5% से कम होने पर खाद्य सहयोज्य पदार्थों को छोड़कर संघटकों को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है:

परंतु एलर्जी उत्पन्नकारी के रूप में ज्ञात निम्नलिखित संघटकों को अलग से “..... (एलर्जीकारक संघटक का नाम) युक्त” घोषित किया जाएगा।

- (i) ग्लुटेनयुक्त धान्य; यथा गेहूँ, राई, जौ, जई, जर्मन गेहूँ अथवा उनकी संकर नस्लें और उनके उत्पाद;
- (ii) क्रस्टासियन और उनके उत्पाद;
- (iii) दूध और दुग्ध उत्पाद;
- (iv) अंडे और अंडा उत्पाद;
- (v) मछली और मत्स्य उत्पाद;
- (vi) मूँगफली, मेवे और उनके उत्पाद;
- (vii) सोयाबीन और उनके उत्पाद;
- (viii) 10 मिग्रा/किग्रा अथवा इससे अधिक सल्फाइड।

- च) योजित जल को संघटकों की सूची में घोषित किया जाए, सिवाय तब जब पानी किसी संघटक का अंग हो, यथा सम्मिश्र आहार में प्रयुक्त लवण जल, सिरप अथवा दोनों, और उसे संघटकों की सूची में उसी प्रकार घोषित किया जाए;

परंतु उत्पादन के दौरान वाष्पित जल अथवा अन्य वाष्पशील संघटकों को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है:

परंतु यह भी कि निर्जलीकृत अथवा संघनित खाद्य, जिन्हें पानी डालकर फिर बनाना होता है, के मामले में ऐसे पुनर्संघटित खाद्यों के संघटक भार अथवा आयतन, जैसी भी स्थिति हो, के अवरोही क्रम से घोषित किए जाएँ और उनके साथ "लेबल के निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने पर उत्पादन के संघटक" अभ्युक्ति हो।

- छ) मिश्रण अथवा समुच्चय के रूप में बेचे गए खाद्य के प्रत्येक पैकेट पर खाद्य के उत्पादन के समय प्रयुक्त संघटकों ((मिश्र संघटकों अथवा संघटकों की श्रेणियों सहित) का प्रतिशत घोषित हो, यदि –

- (i) शब्दों अथवा चित्रों अथवा ग्राफों के माध्यम से लेबल पर ऐसे संघटक की मौजूदगी पर बल दिया गया हो; अथवा
- (ii) ऐसा संघटक खाद्य के नाम में न हो, परंतु खाद्य का लक्षण प्रकट करने के लिए अनिवार्य हो और उपभोक्ता उसके खाद्य में होने की आशा करते हों, यदि ऐसे संघटक की मात्रा की घोषणा न होने से उपभोक्ता को भ्रम अथवा धोखा हो।

परंतु यह भी कि ऐसी घोषणाओं की तब आवश्यकता नहीं होगी, जब –

- (i) संघटक सुवासकारी अभिकर्मकों के रूप में प्रयुक्त मसाले अथवा जड़ी-बूटियाँ हों;
- (ii) खाद्य के नाम में संघटक अथवा संघटकों की श्रेणी का हवाला हो, यदि ऐसे हवाले से उपभोक्ता को कोई भ्रम अथवा धोखा न हो अथवा उस पर खाद्य के लक्षण के बारे में कोई गलत प्रभाव न पड़े, क्योंकि खाद्य का लक्षण बताने अथवा अथवा उसे मिलते-जुलते उत्पादों से भिन्न बताने के लिए विभिन्न उत्पादों में संघटकों की मात्रा में अंतर करना आवश्यक नहीं होता।
- (iii) लेबल पर अपेक्षानुसार ट्रेन्ड निवल भार अंकित हो, सिवाय मिश्र संघटकों वाले उन उत्पादों के मामले को छोड़कर जिनमें कतिपय संघटक होने पर बल दिया जाता है;
- (iv) किसी खाद्य के लिए इन विनियमों के अंतर्गत विशिष्ट उपबंध हों;
- (v) उपभोक्ता की सूचना और उपयोग के लिए परोसे के सुझाव का कोई चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण किया गया हो।

3) पोषण सूचना.-

- (क) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, पोषण सूचना का प्रयोजन उपभोक्ता को खाद्य के पोषण संबंधी गुणधर्मों के बारे में जानकारी देना है और निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

- (i) 'शर्करा' से सभी मोनोसैकराइड (ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि) और डाइसैकराइड (माल्टोज, सूक्रोज, लैक्टोज इत्यादि) अभिप्रेत है।
- (ii) 'वसा' से कुल वसा अभिप्रेत है, जिसमें सैच्युरेटिड फैट, मोनोसैच्युरेटिड फैट, पॉलिनसैच्युरेटिड फैट और ट्रांस फैट शामिल हैं।

- (क) “सैच्युरेटिड फैट” से डबल बॉण्डरहित वसीय अम्ल अभिप्रेत है।
- (ख) “मोनोअनसैच्युरेटिड फैट” से एक सिस डबल बॉण्ड वाले वसीय अम्ल अभिप्रेत है।
- (ग) “पॉलिअनसैच्युरेटिड फैट्स” से सिस-सिस मिथाइलीन-बाधित डबल बॉण्ड वाले वसीय अम्ल अभिप्रेत है।
- (घ) “ट्रांस फैट” से रूपांतरित वसा में मोनोअनसैच्युरेटिड और पॉलिअनसैच्युरेटिड वसीय अम्लों के रेखागणितीय आइसोमरों के वे गैर-असंयुग्मी कार्बन-कार्बन डबल बॉण्ड होना अभिप्रेत है, जो कम से कम एक मिथाइलीन गुप से बाधित होते हैं।
- (iii) “आहारिक रेशा” से वे कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर अभिप्रेत हैं, जिनकी बहुलीकरण डिग्री 3 से कम न हो, जो मानव की छोटी आँत में अंतर्जात एन्जाइम द्वारा जलीय अपघटन नहीं होता। आहारिय रेशा निम्न में से एक या अधिक से संयुक्त होते हैं:
- (क) खाद्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खाद्य कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर, उपभुक्त रूप में;
- (ख) कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर, जो भौतिक, एन्जाइमी अथवा रासायनिक साधन से कच्ची खाद्य सामग्री से प्राप्त होते हैं;
- (ग) संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर।
- (iv) ‘पोषक तत्व’ से आहार के संघटक के रूप में आम तौर पर खाया जाने वाला वह पदार्थ अभिप्रेत है, जो:
- (क) ऊर्जा देता है; अथवा
- (ख) शारीरिक और मानसिक विकास और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है; अथवा
- (ग) जिसकी कमी से लाक्षणिक जैव-रासायनिक अथवा शरीर रचना संबंधी परिवर्तन हो जाएँगे।

उदाहरण:- विटामिन, खनिज और लेश तत्व, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, वसा, रेशे, और प्रतिस्थापी जो इनमें से किसी एक से संबंधित होते हैं अथवा उसके घटक होते हैं।

- (ख) लेबल पर उत्पाद के प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली. और वयस्क व्यक्ति के लिए प्रति दिन 2000 कि.कै ऊर्जा, 67 ग्रा कुल वसा, 22 ग्रा संतृप्त वसा 2 ग्रा ट्रांस फैट, 50 ग्रा मिलाई गयी शर्करा और 2000 मि॰ ग्रा॰ सोडियम (5 ग्रा॰ नमक) की आवश्यकता के आधार पर आकलित अनुशंसित आहार मान में प्रति परोसे प्रति शत योगदान संबंधी पोषण सूचना दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:-
- (i) ऊर्जा मान (कि.कै);
- (ii) निम्नलिखित की मात्रा :
- (क) प्रोटीन (ग्रा);
- (ख) कार्बोहाइड्रेट और शर्कराएँ (ग्रा);
- (ग) कुल वसा (ग्रा), सैच्युरेटिड फैट (ग्रा), ट्रांस फैट (ग्रा) और कोलेस्ट्रॉल (मिग्रा);

परंतु सैच्युरेटिड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा लेबल पर “..... से अनधिक” के रूप में घोषित की जा सकती है।

(घ) लवण (सोडियम क्लोराइड)(ग्रा);

(iii) जहाँ कहीं विटामिनों और खनिजों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना दी जाए, उसे मीटरी इकाइयों में दिया जाए;

(iv) पोषण सूचना के पैनल में संदर्भ के लिए खाद्य की ग्राम (ग्रा) अथवा मिलीलीटर (मि.ली) में मात्रा के अतिरिक्त परोसे का माप और प्रति पैकेज परोसों की संख्या शामिल हो।

स्पष्टीकरण: “परोसा अथवा परोसा साइज” से अभिप्रेत है खाद्य की हर बार पारंपरिक रूप से खाई जाने वाली मात्रा अथवा जो लेबल पर परिभाषित हो और जो मीटरी इकाइयों में व्यक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त इसे खाद्य के अनुसार उपयुक्त आम घरेलू मापों, यथा चाय की चम्मच, खाना खाने की चम्मच, कप आदि के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है।

(ग) निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में पोषण सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी:

(i) कैटरिंग प्रयोजन के लिए खाद्य, यथा अस्पतालों, रेस्टोरेंटों, खाद्य विक्री स्थानों पर परोसे जाने वाले खाद्य अथवा उपभोक्ताओं को तुरंत सेवन के लिए तैयार खाद्य के रूप में परोसे जाने वाले खाद्य;

(ii) स्व स्थाने तैयार और/अथवा उपभोक्ताओं को सीधे विक्री के लिए बनाए गए खाद्य, यथा हलवाइयों, मिष्टान्न विक्रेताओं द्वारा बेचे गए खाद्य;
परंतु राज्य/केंद्रीय लाइसेंसिंग के अंतर्गत आने वाले खाद्य कारोबारी अपनी खाद्य वस्तुओं की पोषण संबंधी सूचना पुस्तिका के रूप में रखेंगे, जो उपभोक्ताओं के मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) एक संघटक वाले खाद्य, जैसे शर्करा, गुड़, लवण, मसाले, जल;

(iv) गैर-पोषक उत्पाद, जैसे कॉफी, कॉफी-कासनी मिश्रण, चाय, कंडीमेंट

(v) पैकेजबंद ताजा उत्पाद, जैसे ताजा फल और सब्जियाँ, ताजा समुद्री भोजन, अंडे और ताजा मांस।

तथापि लेबल पर पोषण अथवा स्वास्थ्य का दावा किए जाने पर उपर्युक्त उत्पादों पर पोषण सूचना देनी होगी।

(घ) लेबल पर घोषित पोषक तत्वों की मात्रा के अनुपालन में उत्पाद की घोषित भंडारण अवधि तक किसी भी समय घोषित पोषक तत्व के अधिकतम मान के 10 प्रति शत कम तक छूट होगी।

(ङ) पोषक तत्वों का परिकलन :

(i) ऊर्जा का परिकलन : उल्लिखित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा निम्नलिखित परिवर्तन घटकों का उपयोग करके परिकलित की जाए:

(क)	कार्बोहाइड्रेट	4 कि.कै/ग्रा
(ख)	पालियाँल, एरिथ्रिटॉल को छोड़कर	2 कि.कै/ग्रा
(ग)	एरिथ्रिटॉल	0 कि.कै/ग्रा
(घ)	प्रोटीन	4 कि.कै/ग्रा
(ङ)	वसा	9 कि.कै/ग्रा

- (च) एल्कोहल (एथनॉल) 7 कि.कै/ग्रा
 (छ) जैव अम्ल 3 कि.कै/ग्रा
- (ii) प्रोटीन का परिकलन – सूची में दर्शाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा का परिकलन निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाए:

प्रोटीन = कुल Kjeldahl नाइट्रोजन x 6.25 (यदि वैज्ञानिकतः सिद्ध कोई अन्य भिन्न घटक न हो)

- (च) पोषण सूचना बार कोड/ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर (जी.आई.टी.एन) के रूप में अतिरिक्त रूप में भी दी जा सकती है।
- (छ) जहाँ खाद्य को खाद्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित विहित रीति से परोसा गया हो वहाँ स्वास्थ्य संदेशों के साथ पोषण सूचना और/अथवा संघटकों संबंधी सूचना भी दी जाए।

(4) शाकाहार अथवा मांसाहार के संबंध में सूचना.-

- (क) पशुमूल के संघटकों, जिनमें खाद्य सहयोज्य पदार्थ, प्रसंस्करण सहायक सामग्रियाँ शामिल हैं, के प्रत्येक पैकेज पर उत्पाद को मांसाहार दर्शाने के लिए नीचे निर्धारित प्रतीक चिह्न और रंग कोड की इस आशय की घोषणा हो। प्रतीक में ब्राउन रंग की आउटलाइन वाले वर्ग में ब्राउन रंग का गोला है, जिसका व्यास और भुजाएँ विनियम 4.2(4)(ग) में उल्लिखित सारणी में विहित न्यूनतम साइज से कम न हों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



ब्राउन रंग

परंतु जिस खाद्य वस्तु में मांसाहार के रूप में केवल अंडा हो, उसका उत्पादक, अथवा पैकर अथवा विक्रेता इस आशय की घोषणा उपयुक्त प्रतीक के अतिरिक्त दे सकता है।

- (ख) पौध मूल के संघटकों जिनमें खाद्य सहयोज्य पदार्थ प्रसंस्करण सहायक सामग्रियाँ शामिल हैं, वाले खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर इस प्रयोजन के लिए नीचे निर्दिष्ट प्रतीक और रंग कोड के रूप में एक घोषणा यह दर्शाने के लिए हो कि उत्पाद शाकाहार है। प्रतीक हरे रंग की आउटलाइन के वर्ग में हरे रंग से भरा त्रिकोण हो और इसकी भुजाएँ विनियम 4.2(4)(ग) में उल्लिखित सारणी में विहित न्यूनतम साइज से कम न हों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:




हरा रंग

- (ग) शाकाहार/मांसाहार लोगो का साइज

क्रम सं.	प्रमुख प्रदर्श पैनल का क्षेत्रफल, वर्ग सें.मी में	वृत्त के व्यास का न्यूनतम साइज, मि.मी में	त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का न्यूनतम साइज, मि.मी में	वर्ग की प्रत्येक भुजा का न्यूनतम साइज, मि.मी में
1.	100 तक	3	2.5	6
2.	100 से 500 तक	4	3.5	8
3.	500 से 2500 तक	6	5	12
4.	2500 से अधिक	8	7	16

- (घ) मानव उपभोग के लिए न आशयित खाद्य सामग्री के प्रत्येक पैकेज पर नीचे विहित प्रतीक के रूप में इस आशय की घोषणा हो। प्रतीक काले रंग की आउटलाइन वाले वर्ग में काले रंग के क्रॉस के रूप में हो जिसमें वर्ग की भुजाएँ विनियम 4.2(4)(ग) में उल्लिखित सारणी में विहित न्यूनतम साइज से कम न हों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



- (ड.) जैसा कि इस विनियम में उपबंध है, शाकाहार अथवा मांसाहार संबंधी घोषणा पैम्फलेटों, पत्नों और किसी भी माध्यम से विज्ञापनों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

प्रतीक को पैकेज के प्रमुख प्रदर्श पैनल पर उत्पाद के नाम अथवा ब्रांड नाम के बिल्कुल निकट विपरीत बैकग्राउंड में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

विनियम 4.2(4)(क) और 4.2(4)(ख) के उपबंध खनिज जल, पैकेजबंद पेय जल, कार्बोनेटित जल, एल्कोहलीय बीवरेजों, द्रव दूध, दुग्ध पाउडरों अथवा शहद पर लागू नहीं होंगे।

(5) खाद्य सहयोज्य पदार्थों संबंधी घोषणा.-

खाद्य सहयोज्य पदार्थों की प्रयोजनमूलक श्रेणियों को विशिष्ट नाम(मों) अथवा मान्य अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के साथ घोषित किया जाएगा, जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 की संघटकों की सूची में विहित है।

- (क) जिस खाद्य में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.3.1(1) के अनुसार सुवासकारी सामग्री डाली जाए, उसके बारे में संघटकों की सूची में घोषणा की जाए, परंतु:

- कृत्रिम सुवासकारी सामग्रियों के मामले में सुवास का आम नाम घोषित किया जाए;
- प्राकृतिक सुवासकारी सामग्रियों अथवा उनके सदृश सामग्रियों के मामले में सुवास का श्रेणी नाम घोषित किया जाएगा।

(6) नाम और पूरा पता.-

- (क) लेबल पर ब्रांड मालिक का नाम और पूरा पता और उत्पादक, पैकर अथवा बोटलर, जैसी भी स्थिति हो, यदि अलग-अलग स्थानों पर हों, घोषित किए जाएँ। पते से पहले उसके विशेषक शब्द, जैसे “उत्पादक” अथवा “उत्पादन” अथवा “पैकर” अथवा “विपणक” दिए जाएँ।

- (ख) किसी खाद्य वस्तु के भारत में आयातित होने पर उस खाद्य के पैकेज पर भारत में उसके आयातक का नाम और पूरा पता भी हो।

परंतु यह कि भारत से बाहर उत्पादित किसी खाद्य वस्तु के भारत में पैक अथवा बोटलबंद किए जाने की स्थिति में ऐसी खाद्य वस्तु के पैकेज के लेबल पर उस खाद्य वस्तु के मूल देश का नाम और आयातक का नाम और पूरा पता और भारत में उसके पैकिंग और बातलबंदी परिसर का नाम और पूरा पता भी दिया जाएगा।

(7) एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और लाइसेंस संख्या.-

- (क) अधिनियम के अंतर्गत एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और लाइसेंस संख्या खाद्य पैकेज के लेबल पर उसकी पृष्ठभूमि के रंग के विपरीत रंग में दिया जाए, यथा:



Lic. No. XXXXXXXXXXXXX

- (ख) बहु इकाइयों के मामले में एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और ब्रांड मालिक की लाइसेंस संख्या प्रदर्शित की जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पाद के अंत्य उत्पादन की बहु इकाइयों की लाइसेंस संख्या भी प्रदर्शित की जाएगी।
- (ग) आयातित खाद्य उत्पादों के मामले में आयातक अपने नाम और पते के साथ एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और लाइसेंस संख्या प्रदर्शित करेगा।
- (घ) प्रत्येक खाद्य कारोबारी उन सभी परिसरों में अपना पंजीकरण/लाइसेंस संख्या, जैसी भी स्थिति हो, प्रदर्शित करेगा, जहाँ खाद्य का भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण अथवा बिक्री होती हो। साथ ही खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य सूचना भी प्रदर्शित करेगा।
- (ङ) एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्य ले जाने वाले वाहन, परिवहन उपकरण पर पंजीकरण/लाइसेंस संख्या (जैसी स्थिति हो) हो। साथ ही खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य सूचना भी प्रदर्शित हो।
- (च) पौष्टित खाद्य और जैव खाद्य को इन विनियमों की अनुसूची-III में विहित लोगो से अंकित किया जाएगा। एफ.एस.एस.ए.आई समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार किसी अन्य खाद्य के लिए भी 'लोगो' विहित कर सकती है।

(8) निवल मात्रा, खुदरा बिक्री मूल्य और कस्टमर केअर विवरण.-

निवल मात्रा, खुदरा बिक्री मूल्य और कस्टमर केअर संबंधी विवरण विधिक माप- विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार हों।

(9) राशि/कोड/खेप की पहचान.-

लेबल पर खेप संख्या अथवा कोड संख्या अथवा राशि संख्या घोषित की जाएगी।

(10) तिथि का अंकन.-

- (क) लेबल पर "उत्पादन अथवा पैकेजिंग की तिथि" और "समाप्ति तिथि/तक बेहतर तिथि" दी जाएगी। तथापि ऐच्छिक अथवा अतिरिक्त सूचना के रूप में "से पूर्व बेहतर" अभिव्यक्ति भी की जा सकती है।
- (ख) उत्पादन अथवा पैकेजिंग/समाप्ति/तक बेहतर/से पूर्व बेहतर तिथि की घोषणा की रीति निम्नानुसार होगी:
- (i) 3 महीने तक की भंडारण अवधि वाले उत्पादों के लिए DD/MM/YY प्ररूप का उपयोग करते हुए दिन, माह और वर्ष; तीन महीने से अधिक की भंडारण अवधि वाले उत्पादों के

लिए महीना और वर्ष, बिना कोड किए गए सांख्यिक क्रम से घोषित किए जाएँगे, सिवाय इसके कि महीना बड़े वर्णों में दिया जाएगा और संक्षिप्ताक्षरों (कम से कम माह के पहले तीन वर्ण) का उपयोग किया जा सकता है।

- (ग) यदि तिथि की वैधता भंडारण की किसी विशेष अवस्था पर निर्भर हो तो 'समाप्ति' अथवा 'तक बेहतर तिथि' के अतिरिक्त लेबल पर खाद्य के भंडारण की किसी विशेष अवस्था की घोषणा की जाए। यदि आवश्यक हो तो पैक खोलने के बाद की भंडारण अवस्थाएँ भी निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
- (घ) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी "समाप्ति तिथि" का संकेत निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगा:
- (i) आलुओं सहित वह ताजा फल और सब्जियाँ, जिन्हें छीला, काटा न गया हो अथवा इसी प्रकार उपचारित न किया गया हो;
 - (ii) हर तरह की शराब;
 - (iii) आयतनानुसार 10% या अधिक एल्कोहल वाले एल्कोहलीय बीवरेज;
 - (iv) सिरका;
 - (v) अधिकव्यथित मिष्टान्न;
 - (vi) औद्योगिक प्रयोग के लिए खाद्य ग्रेड लवण;
 - (vii) ठोस शर्कराएँ;
 - (viii) च्युइंग गम।
- (ङ.) "उत्पादन अथवा पैकेजिंग की तिथि" और "समाप्ति तिथि/तक बेहतर तिथि" को एक जगह एक साथ दिया जाए।
- (च) एअरलाइनों/रेलवे/चल कैटरिंग यूनियों में परोसे गए पैकड भोजनों पर "उत्पादन की तिथि और समय" घोषित किए जाएँ।

(11) आयातित खाद्य पदार्थों के लिए मूल देश का नाम.-

- (क) भारत में आयातित खाद्य पदार्थ के लेबल पर उसके मूल देश का नाम घोषित किया जाए।
- (ख) जब खाद्य की प्रसंस्करण किसी दूसरे देश में हो, जिससे उसकी प्रकृति में बदलाव हो जाए, तो लेबलिंग के प्रयोजन के लिए प्रसंस्कर्ता देश को मूल देश माना जाएगा।

(12) उपयोग के निर्देश.-

- (क) खाद्य का उचित उपयोग सुनिश्चित कराने अथवा जहाँ स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे खाद्य के लिए निर्देशों की आवश्यकता हो, लेबल पर उपयोग के निर्देश, जहाँ लागू हो वहाँ पुनर्गठन सहित, शामिल किए जाएँ (उदाहरण के लिए 'खोलने के बाद ठंडा रखें')।

5. प्रमुख प्रदर्श पैनल.- (1) इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना पैकेज अथवा धारक के प्रमुख प्रदर्श पैनल पर दी जाए और ऐसी सूचना निम्नलिखित रूप में दी जा सकती है,-

- (क) सभी सूचना एक जगह एक साथ दी जाए।

अथवा

पूर्व-मुद्रित सूचना एक जगह एक साथ दी जाए, और

- (ख) ऑनलाइन सूचना अथवा जो सूचना पूर्व मुद्रित न हो, उसे किसी अन्य स्थान पर एक साथ दिया जाए।
- (2) **प्रमुख प्रदर्श पैनल का क्षेत्र-** प्रमुख प्रदर्श पैनल का क्षेत्र निम्नलिखित से कम न हो:
- (क) आयताकार पैकेज के मामले में सबसे बड़े क्षेत्र वाले ऐसे पैकेज के पैनल की ऊँचाई और चौड़ाई के चालीस प्रतिशत;
- (ख) बेलनाकार अथवा बेलनाभ, गोल अथवा गोलाभ, अंडाकार अथवा अंडाभ पैकेज के मामले में सबसे बड़े क्षेत्र वाले ऐसे पैकेज के पैनल की ऊँचाई और परिधि के चालीस प्रतिशत;
- (ग) अन्य किसी आकृति के पैकेज के मामले में पैकेज के कुल सतही क्षेत्र का बीस प्रतिशत;
- (घ) दस घन सेंटी मीटर अथवा कम धारिता वाले पैकेज के मामले में प्रमुख प्रदर्श पैनल पैकेज से सख्ती से जुड़ा कार्ड अथवा टेप हो सकता है और उस पर इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना हो।
- (3) इन विनियमों के अंतर्गत प्रमुख प्रदर्श पैनल पर अपेक्षित अंक और वर्ण की ऊँचाई निम्नलिखित सारणी के अनुसार हो:

सारणी-1


क्रम सं.	प्रमुख प्रदर्श पैनल का क्षेत्रफल	अंक और वर्ण की न्यूनतम ऊँचाई, मि.मी में	
		आम मामले में	ब्लोन, साँचित अथवा धारक पर छिद्रित होने पर
1.	100 सें.मी ² तक	1	2
2.	100 सें.मी ² से अधिक और 500 सें.मी ² तक	2	4
3.	500 सें.मी ² से अधिक और 2500 सें.मी ² तक	4	6
4.	2500 सें.मी ² से अधिक	6	8

परंतु यह कि प्रमुख प्रदर्श पैनल पर निवल भार की घोषणा, खुदरा बिक्री मूल्य, समाप्ति की तिथि अथवा 'से पूर्व बेहतर' अथवा 'तक बेहतर तिथि (जहाँ जो लागू हो) और कस्टमर केअर विवरणों के लिए अपेक्षित अंक और/अथवा वर्णों का साइज विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार हो।

परंतु यह और कि वर्ण अथवा अंक की चौड़ाई उसकी ऊँचाई के एक-तिहाई से कम न हो, परंतु यह परंतुक अंक "1" और i, l एवं l के मामले में लागू नहीं होगा।

- (4) पैक के सम्मुख भाग पर निम्नलिखित सूचना घोषित की जाए:

- (क) खाद्य का नाम;
- (ख) शाकाहार अथवा मांसाहार के बारे में घोषणा;
- (ग) निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार आर.डी.ए को प्रति परोसे ऊर्जा, संतृप्त वसा, ट्रांस फैट, मिलाई गयी शर्करा और सोडियम अंशदान:




Note: Calculated based on reference daily energy intake value of 2000 kcal;
 *: Excessive intake of these ingredients through any food can be harmful to health.

भाग 1: प्रति परोसे ऊर्जा, संतृप्त वसा, ट्रांस फैट, मिलाई गयी शर्करा और सोडियम की मात्रा घोषित करता है;

भाग 2: आर.डी.ए को प्रति परोसे प्रतिशत (%) अंशदान की घोषणा करता है, जैसे कि विनियम 4.2(3)(ख) में उपबंधित है।

(घ) कुल शर्करा का ऊर्जा मान (kcal) 100 ग्रा/100 मि.ली उत्पाद द्वारा दी गई कुल ऊर्जा (kcal) के 10 प्रति शत से अधिक होने पर; ट्रांस फैट का ऊर्जा मान (kcal) 100 ग्रा/100 मि.ली उत्पाद द्वारा दी गई कुल ऊर्जा (kcal) के 1 प्रति शत से अधिक होने पर; और 100 ग्राम/100 मि.ली उत्पाद द्वारा संतृप्त वसा अथवा सोडियम अंश अनुसूची-1 में विहित अवसीमा मानों से अधिक होने पर "उच्च वसा, शर्करा और लवण" (एच.एफ.एस.एस) खाद्य के पोषक तत्वों के ब्लॉक 'लाल' दर्शाए जाएँ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



Note: Calculated based on reference daily energy intake value of 2000 kcal;

टिप्पणी I: विशेष रंग के ब्लॉक में टैक्स्ट को एक विपरीत रंग के साथ प्रदर्शित किया जाना है।

परंतु "उच्च वसा, शर्करा और लवण" (एच.एफ.एस.एस) खाद्य के पोषक तत्वों के ब्लॉक की 'लाल' कोडिंग के लिए अवसीमा मानों में अनुमत छूट निम्नानुसार होगी:

समय-सीमा	छूट
इन विनियमों के अनुपालन की तिथि से अर्थात् 1 वर्ष के लिए	विनियमन 5 (4) (ग) के तहत दर्शाया गया है
इन विनियमों के अनुपालन की तिथि से एक वर्ष बाद	अवसीमा मान* जमा अवसीमा मानों* का 30%
इन विनियमों के अनुपालन की तिथि से दो वर्ष बाद	अवसीमा मान* जमा अवसीमा मानों* का 15%
इन विनियमों के अनुपालन की तिथि से तीन वर्ष बाद	अवसीमा मान*

*मिलाई गयी शर्करा, ट्रांस फैट के लिए यथा विनियम 5 के उप-विनियम 4 के खंड (घ) में तथा सोडियम और संतृप्त वसा के लिए यथा इन विनियमों की अनुसूची-1 में विहित।

तथापि, विहित अवसीमा मान और उनके क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा किसी वैज्ञानिक आधार पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा संशोधित भी की जा सकती है।

परंतु यह भी कि अनुसूची-11 में विहित श्रेणियाँ/उत्पाद को रंग कोडिंग से छूट है।

परंतु यह भी कि प्रति परोसे 80 कि.कै तक ऊर्जा देने वाले वीवरेज को रंग कोडिंग से छूट है।

परंतु यह और भी कि उत्पाद में पोषक तत्व के न होने पर उपर्युक्त पोषक तत्व/तत्वों के ब्लॉक का दर्शाया जाना अपेक्षित नहीं है।

(5) “मालिकाना उत्पादों” की एच.एफ.एस.एस लेबलिंग के लिए निकटवर्ती श्रेणी के अवसीमा मान लागू होंगे।

(6) खाद्य प्राधिकरण खाद्य को विहित अवसीमाओं में ‘लाल’ चिह्नित करने के अलावा समय-समय पर रंग कोडिंग प्रणाली भी आरंभ कर सकती है।

(7) लाल चिह्न वाला खाद्य पदार्थ बेचने वाले परिसरों में खान-पान की स्वास्थ्यकर आदतों के बारे में खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित रीति से संदेश प्रदर्शित किया जाए/दिखाया जाए।

(8) खाद्य प्राधिकरण पोषक तत्वों की प्रोफाइलिंग, जिसमें सभी अथवा किसी खाद्य उत्पाद की अवसीमा मान निर्धारण सम्मिलित है, के बारे में और अधिक दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

(9) एच.एफ.एस.एस. खाद्य उत्पाद किसी भी रूप में बच्चों के लिए विज्ञापित न किए जाएँ।

6. अनिवार्य घोषणाएँ

(1) पैकेजबंद खाद्य में अनुसूची-IV में विहित संघटक और/अथवा सहयोज्य पदार्थ होने पर उसे लेबल पर प्रमुख रूप से घोषित किया जाए। वर्ण ‘I’ को आधार मानते हुए घोषणाओं/ अनुसूची-IV में विहित विशिष्ट अपेक्षाओं के लिए वर्णों और अंकों के साइज 3 मि.मी से कम न हों।

(2) खाद्य प्राधिकरण किसी संघटक और/अथवा सहयोज्य पदार्थों और संगत घोषणा में समय-समय पर संशोधन, विलोपन अथवा परिवर्धन कर सकती है।

7. कतिपय लेबलिंग अपेक्षाओं से छूट

(1) पैकेज का सतही क्षेत्र 100 वर्ग सेंटीमीटर से अनधिक होने पर उसके लेबल को संघटकों की सूची, राशि संख्या अथवा खेप संख्या अथवा कोड संख्या, पोषण संबंधी सूचना, विकिरणित खाद्य की लेबलिंग, खाद्य सहयोज्य पदार्थों की घोषणा, आयातक का नाम और पूरा पता और उपयोग के निर्देश की अपेक्षाओं से छूट होगी, परंतु ये सूचनाएँ बहु-यूनिट पैकेजों पर दी जाएँ।

(2) बोटलों में विपणित द्रव उत्पादों के मामले में यदि बोटल का पुनः उपयोग अथवा रिफिलिंग आशयित हो तो संघटकों की सूची संबंधी अपेक्षा से छूट होगी, परंतु लेबल पर विनियम 4.2(3) में विहित पोषण संबंधी सूचना दी जाएगी।

(3) सात दिन से अनधिक भंडारण अवधि वाले खाद्य के मामले में पैकेजबंद खाद्य वस्तु के लेबल पर ‘उत्पादन की तिथि’ का उल्लेख करने की आवश्यक नहीं है, परंतु उत्पादक अथवा पैकर उसके लेबल पर ‘समाप्ति/तक प्रयोग करें’ तिथि का उल्लेख करे।

(4) तुरंत सेवन के लिए तैयार खाद्य के मामले में, जैसे होटलों में अथवा खाद्य सर्विस वेंडरों अथवा कैटरों अथवा हलवाइयों अथवा अस्पतालों अथवा किसी धार्मिक समारोह में अथवा एअरलाइन/रेलवे/सवारी गाड़ी अथवा किसी चल यूनिट में परोसा गए खाद्य के साथ बिक्री के स्थान/खाद्य के परोसने के स्थान पर नीचे विहित न्यूनतम सूचना दी जाए अथवा प्रदर्शित की जाए:

- (क) इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित कोई चेतावनी/वैधानिक घोषणा;
- (ख) एलर्जन संबंधी सूचना; और
- (ग) शाकाहार अथवा मांसाहार का लोगो।

परंतु बिक्री मशीन के माध्यम से बेचे गए खाद्य के मामले में इन विनियमों के विनियम 4.2(3) में विहित लेबलिंग अपेक्षाएँ ऊपर 7(4) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अतिरिक्त बिक्री मशीन के बाहर अथवा पोस्टर, पन्ने अथवा धारक पर उचित तरीके से प्रदर्शित की जाए।

(5) यदि निम्नलिखित लेबलिंग अपेक्षाएँ बार कोड/ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर (जी.टी.आई.एन) में दी गई हों, तो उन्हें देने से छूट है,-

- (क) ब्रांड मालिक और उन बहु इकाइयों का पता, जहाँ उत्पादन, बोटलिंग अथवा पैकिंग की जाती हो।
- (ख) उन बहु इकाइयों के लाइसेंस संख्या, जहाँ उत्पादन, बोटलिंग अथवा पैकिंग की जाती हो।

(6) आयातित पैकेजबंद खाद्य खेपों के मामले में प्रमुख प्रदर्श पैनल के साथ एकल गैर-वियोज्य स्टिकर लगाकर अथवा अन्य किसी गैर-वियोज्य पद्धति से सीमा शुल्क बाध्य वेअरहाउस में संशोधनीय लेबलिंग कमियों के लिए लेबलिंग पर निम्नलिखित विशेष प्रणाली अनुमत होगी, अर्थात्,-

- (क) आयातक का नाम और पता;
- (ख) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का लोगो और लाइसेंस संख्या
- (ग) मांसाहार अथवा शाकाहार लोगो
- (घ) मालिकाना खाद्य का प्रजातिगत नाम, प्रकृति और संघटन के साथ श्रेणी अथवा उप श्रेणी।

ऊपर उप-विनियम (6) में उल्लिखित संशोधनीय लेबलिंग कमियों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी खाद्य आयातक अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट को निर्देश देते हुए इस आशय का आदेश पारित कर सकता है कि वह अनुमत लेबलिंग संशोधन निर्धारित समय में करे।

(7) बहुमात्र खुले आयातित खाद्यान्न, दाल, फल और सब्जियाँ, साबुत मसालों जैसे प्राथमिक खाद्य पर निम्नलिखित अंकित होगा,-

- (क) खाद्य का नाम
- (ख) आयातक का नाम और पूरा पता।

तथापि उसकी संबंधित प्रलेखों से भी जाँच की जाए।

8. खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में जानकारी का प्रदर्शन

(1) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान जिनके पास केंद्रीय लाइसेंस हो अथवा जिनके 10 या उससे अधिक आउटलेट हो वे उनके द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक खाद्य पदार्थ का कैलोरीफ मूल्य मैन्यू कार्ड या बोर्डों पर प्रदर्शित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रति दिन औसत वयस्क के लिए 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकताओं पर संदर्भ जानकारी स्पष्ट रूप से और प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

उपरोक्त कथन के शब्दों में लचीलापन स्वीकार्य है, बशर्ते कि कथन का अर्थ बदल न जाए।

(2) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान भोजन की बिक्री या सेवा के स्थान पर नीचे निर्दिष्ट जानकारी प्रदर्शित करेंगे:

(क) एलर्जी से संबंधित जानकारी, यदि भोजन में निम्न शामिल हैं या बने हैं:

- (i) ग्लुटेनयुक्त धान्य; यथा गेहूँ, राई, जौ, जई, जर्मन गेहूँ अथवा उनकी संकर नस्लें और उनके उत्पाद;
- (ii) क्रस्टासियन और उनके उत्पाद;
- (iii) दूध और दुग्ध उत्पाद;
- (iv) अंडे और अंडा उत्पाद;
- (v) मछली और मत्स्य उत्पाद;
- (vi) मूँगफली, मेवे और उनके उत्पाद;
- (vii) सोयाबीन और उनके उत्पाद;
- (viii) 10 मिग्रा/किग्रा अथवा इससे अधिक सल्फाइड।

बशर्ते कि एलर्जी को प्रतीकों को समझने के लिए आसान द्वारा चित्रित किया जा सकता है।

(ख) शाकाहारी या मांसाहारी संबंधी लोगो;

(3) ये प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) इवेंट कैटरर्स और फूड सर्विस परिसर जो कैलेंडर वर्ष में 60 दिनों से कम समय तक चलते हैं (लगातार या लगातार नहीं)।

(ख) स्व-सेवा मसालों जो निःशुल्क हैं और मैन्यू पर सूचीबद्ध नहीं हैं।

(ग) ग्राहक के अनुरोध के अनुसार विशेष ऑर्डर आइटम या संशोधित भोजन और मेनू आइटम।

(4) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान उप-विनियमन 4.2 (3), उप-विनियम 1.1 (1), (2), (3), 1.4 (3), (4) और 1.9 के तहत निर्धारित विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पोषण संबंधी जानकारी भी प्रदान करेंगे। इन विनियमों की अनुसूची- IV, यदि लागू हो और जैविक खाद्य या सामग्री से संबंधित जानकारी, यदि दावा किया जाता है, तो बुकलेट या हैंडआउट के रूप में या उनकी वेबसाइट पर अनुरोध पर उपभोक्ताओं को उनके द्वारा बेचे गए खाद्य पदार्थों के लिए।

बशर्ते कि पोषण संबंधी जानकारी की घोषणा के मामले में 25 प्रतिशत का विचलन सहन किया जा सकता है।

(5) ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर यह जानकारी अपने प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान से जुड़े मेनू में भी उपलब्ध कराएंगे, जहां लागू हो।

(6) प्राधिकरण समय-समय पर इन नियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अन्य खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को भी निर्दिष्ट कर सकता है।

अध्याय 3

9. गैर-खुदरा धारकों की लेबलिंग अपेक्षाएँ

(1) गैर-खुदरा बिक्री के लिए अपेक्षित प्रत्येक पैकेजबंद खाद्य पर निम्नलिखित अनिवार्य सूचना या तो उसके धारक पर अथवा उसके साथ लगे लेबल पर दी जाए:

- (क) खाद्य का नाम;
 - (ख) निवल मात्रा;
 - (ग) एफ.एस.एस.ए.आई का लोगो और लाइसेंस संख्या;
 - (घ) तिथि चिह्नानंकन;
 - (ङ) राशि संख्या।
- (2) यदि लेबल पर निम्नलिखित सूचना न दी गई हो तो वह संगत प्रलेखों में दी जाए:

- (क) संघटकों की सूची, उनके स्रोतों के साथ, यथा शाकाहार अथवा मांसाहार
- (ख) पोषण संबंधी सूचना
- (ग) खाद्य सहयोज्य पदार्थों की सूची
- (घ) उत्पादक अथवा पैकर का नाम और पता (आयातित पैकेजों के मामले में मूल देश के नाम सहित)
- (3) गैर-खुदरा बिक्री के प्रत्येक पैकेज पर "खुदरा बिक्री के लिए नहीं" कथन हो।

अध्याय 4

खाद्य सहयोज्य पदार्थों के इसी रूप में बेचने पर उनकी लेबलिंग

10. खुदरा बिक्री के लिए पैकेजबंद खाद्य सहयोज्य पदार्थों की बिक्री

(1) ग्राहक को खुदरा बिक्री के लिए आशयित खाद्य सहयोज्य पदार्थ के प्रत्येक पैकेज पर इस विनियम के उप-विनियम 4.2(1) और 4.2(3) को छोड़कर खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) विनियम, 2019के अनुसार लेबल लगाया जाए।

(2) इसके अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य पदार्थ के प्रत्येक पैकेज के लेबल पर इन विनियमों के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना दी जाए:

- (क) खाद्य सहयोज्य पदार्थ का नाम.- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 और उसके संशोधनों में उल्लिखित विहित नाम का प्रयोग किया जाए।

परंतु:

- (i) यदि ऊपर उल्लिखित खंड में ऐसा नाम न दिया गया हो तो अंतर्राष्ट्रीय विनियमों में दिए गए नाम का प्रयोग किया जाएगा अथवा
- (ii) अन्य मामलों में आम अथवा वाणिज्यिक नाम का प्रयोग किया जाएगा।
- (iii) संश्लेषित खाद्य रंगों के मामले में रासायनिक नाम और रंजन सामग्री का रंग इंडेक्स दिया जाएगा।
- (iv) पैकेज में दो या अधिक खाद्य सहयोज्य पदार्थ होने पर उनके नाम भार अथवा आयतन के अनुसार उनके संघटन के अवरोही क्रम से दिए जाएँ। कोई एक या अधिक खाद्य सहयोज्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 और उसके संशोधनों द्वारा कवर किए गए खाद्य में मात्रात्मक परिसीमन होने पर उस खाद्य सहयोज्य पदार्थ की मात्रा अथवा अनुपात बताया जाए। खाद्य संघटकों के निर्मितिके अंग होने पर उन्हें संघटकों की सूची में भार के अनुसार अनुपात के अवरोही क्रम से घोषित किया जाए।

(ख) अन्य अनिवार्य घोषणाएँ

- (i) खुदरा बिक्री से अथवा गैर-खुदरा बिक्री से बेचे गए खाद्य सहयोज्य पदार्थ के हर पैकेज पर "खाद्य प्रयोजनार्थ" शब्द प्रमुख रूप से अंकित किए जाएँ।
- (ii) सुवासकारी सामग्रियों के मिश्रण के मामले में मिश्रण में मौजूद प्रत्येक सुवासकारी सामग्री का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सुवास की प्रकृति की सही पहचान के साथ आम अथवा प्रजातिगत अभिव्यक्ति "सुवास" अथवा "सुवासकारी" का प्रयोग किया जाए।

"सुवास" अथवा "सुवासकारी" अभिव्यक्ति को "प्राकृतिक", "प्राकृतिक जैसा", "कृत्रिम" अथवा इन शब्दों के मेल, जो भी उपयुक्त हो, से विशेषित किया जाए। परंतु यह विशेषक सुवास परिवर्तकों पर लागू नहीं होता।

11. गैर-खुदरा पद्धति से बेचे गए पूर्व पैकेजबंद खाद्य सहयोज्य पदार्थ की लेबलिंग

गैर खुदरा पद्धति से बेचे गए खाद्य सहयोज्य पदार्थ के हर पैकेज पर इन विनियमों के अध्याय 3 और विनियम 9 के अनुसार लेबल लगाया जाए।

12. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बने अन्य विनियमों में विहित लेबलिंग अपेक्षाओं के असंगत होने पर इन विनियमों के उपबंध लागू होंगे।

अनुसूची - I**(विनियम 5 (4) (घ) देखें)****खाद्य श्रेणियों के लिए पोषक तत्वों की सीमाएँ**

श्रेणी सं.	श्रेणी	सम्मिलित उप श्रेणियाँ	संतृप्त वसा (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)	सोडियम (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)
1.0	डेयरी उत्पाद और सदृश उत्पाद, खाद्य श्रेणी 2.0 के उत्पादों को छोड़कर			
1.1	दूध और डेयरी-आधारित पेय	1.1.2 : डेयरी-आधारित पेय – सुवासित दूध और/अथवा किण्वित	2.3	कोई सीमा नहीं
1.6	पनीर और सदृश उत्पाद	1.6.1 : कच्चा पनीर 1.6.2 : तैयार पनीर 1.6.2.1 : तैयार पनीर, पपड़ी सहित 1.6.2.2 : तैयार पनीर की पपड़ी 1.6.2.3 : पनीर पाउडर 1.6.3 : छाछ पनीर 1.6.4 : प्रसंस्कृत पनीर 1.6.4.1 : सादा प्रसंस्कृत पनीर 1.6.4.2 : सुवासित प्रसंस्कृत पनीर; फल, सब्जी, मांस इत्यादि युक्त पनीर 1.6.5 : पनीर सदृश उत्पाद 1.6.6 : छाछ प्रोटीन पनीर	6.6	0.60
1.7	डेयरी-आधारित डेजर्ट		2.6	0.10
2.0	वसा और तेल, और वसा पायस			
2.2	मुख्यतः जल-में-तेल किस्म के वसा पायस	2.2.1 मक्खन 2.2.2 फैट स्प्रेड, डेयरी फैट स्प्रेड और सम्मिश्र स्प्रेड	कोई सीमा नहीं	0.10
2.4	खाद्य श्रेणी 1.7 के डेयरी-आधारित डेजर्ट उत्पादों को छोड़कर वसा-आधारित डेजर्ट	2.4.1 कोको आधारित स्प्रेड, फिलिंग सहित	2.6	कोई सीमा नहीं
3.0	खाद्य बर्फ, शरबत सहित		2.6	0.10
4.0	फल और सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों, प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू बेरा सहित), समुद्री अपतृण, और			

श्रेणी सं.	श्रेणी	सम्मिलित उप श्रेणियाँ	संतुप्त बसा (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)	सोडियम (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)
	गिरियाँ और बीज			
4.1	फल	<p>4.1.2 प्रसंस्कृत फल</p> <p>4.1.2.2 शुष्कित फल, गिरियाँ और बीज</p> <p>4.1.2.3 सिरका, तेल, अथवा लवण-जल-सिक्त फल</p> <p>4.1.2.4 डिब्बाबंद अथवा बोटलबंद (पाश्चुरीकृत) फल</p> <p>4.1.2.5 जैम, जैली, मार्मलेड, फ्रूट बार/टॉफी और फ्रूट पनीर</p> <p>4.1.2.6 खाद्य श्रेणी के उत्पादों को छोड़कर फल-आधारित लेप (उदाहरणार्थ चटनी)</p> <p>4.1.2.7 पगा फल</p> <p>4.1.2.8 फल पाक, गूदा, शोरबा, फ्रूट टोपिंग और कोकोनट दूध सहित</p> <p>4.1.2.9 फल-आधारित डेजर्ट, फल-सुवासित जल-आधारित डेजर्टों सहित</p> <p>4.1.2.10 किण्वित फल उत्पाद</p> <p>4.1.2.11 पेस्ट्रियों के लिए फ्रूट फिलिंगें</p> <p>4.1.2.12 पकाया हुआ फल</p>	कोई सीमा नहीं	0.40
4.2	सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, गिरियाँ और बीज	<p>4.2.2 प्रसंस्कृत सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, गिरियाँ और बीज</p> <p>4.2.2.2 शुष्कित सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, गिरियाँ और बीज</p> <p>4.2.2.3 सिरका, तेल, लवण-जल, अथवा सोयाबीन साँस-सिक्त सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, गिरियाँ और बीज</p>	कोई सीमा नहीं	0.40

श्रेणी सं.	श्रेणी	सम्मिलित उप श्रेणियाँ	संतृप्त बसा (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)	सोडियम (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)
		<p>4.2.2.4 डिब्बाबंद अथवा बोतलबंद (पाश्चुरीकृत) अथवा रिटोर्ट पाउच सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), और समुद्री अपतृण</p> <p>4.2.2.5 सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, गिरियाँ और बीज और बीज प्यूरी और स्प्रेड (उदाहरणार्थ पीनट बटर)</p> <p>4.2.2.6 खाद्य श्रेणी 4.2.2.5 को छोड़कर सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, गिरियाँ और बीज गूदा और निर्मितियाँ (उदाहरणार्थ वेजिटेबल डेजर्ट और सॉस, कैंडित सब्जियाँ)</p> <p>4.2.2.7 खाद्य श्रेणी 6.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 और 12.9.2.3 खाद्य श्रेणियों के किण्वित सोयाबीन उत्पादों को छोड़कर सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), और समुद्री अपतृण उत्पाद</p> <p>4.2.2.8 पकी अथवा तली सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), और समुद्री अपतृण</p>		
5.0	मिष्ठान्त			
5.1	नकली और चॉकलेट प्रतिस्थापियों सहित कोको उत्पाद और चॉकलेट उत्पाद	<p>5.1.3 कोको और चॉकलेट उत्पाद</p> <p>5.1.4 नकली चॉकलेट, चॉकलेट प्रतिस्थापी उत्पाद</p>	2.6	कोई सीमा नहीं
5.2	खाद्य श्रेणी 5.1, 5.3 और 5.4	<p>5.2.1 सख्त कैंडी</p> <p>5.2.2 कोमल कैंडी</p>		

श्रेणी सं.	श्रेणी	सम्मिलित उप श्रेणियाँ	संतुप्त बसा (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)	सोडियम (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)
	को छोड़कर सख्त और कोमल कैंडी, नौगट इत्यादि सहित मिष्टान्न	5.2.3 नौगट और मार्जिपैन		
5.3	च्यूइंग गम			
5.4	डेकोरेशन (उदाहरणार्थ महीन बेकरी उत्पाद के लिए), टोपिंग (फल से इतर), और मीठे साँस			
6.0	खाद्य श्रेणी 7.0 के बेकरी उत्पादों को छोड़कर धान्य और जड़ों और प्रकंदों, दालों, फलियों और गूदे अथवा पॉम वृक्ष के नरम आंतरिक भाग से व्युत्पन्न धान्य उत्पाद			
6.3	तैयार खाद्य धान्य, अल्पाहार धान्य, रोल्ड ओट सहित		4.0	0.35
6.4	पास्ता और नूडल और समान उत्पाद (उदाहरणार्थ राइस पेपर, चावल की सेवई, सोयाबीन पास्ता और नूडल)	6.4.1 ताजा पास्ता और नूडल और समान उत्पाद 6.4.2 शुष्कित पास्ता और नूडल और समान उत्पाद 6.4.3 पूर्व पकाए हुए पास्ता और नूडल और समान उत्पाद	1.0	0.25
6.5	धान्य/दालें और मांड आधारित डेजर्ट		2.6	कोई सीमा नहीं
6.7	पूर्व पकाए हुए अथवा प्रसंस्कृत धान्य/अनाज/फली उत्पाद		4.0	0.35
6.8	सोयाबीन उत्पाद (खाद्य श्रेणी 12.9 की सोयाबीन आधारित सीजनिंग और कंडीमेंट को छोड़कर)	6.8.1 सोयाबीन-आधारित बीवरेज	कोई सीमा नहीं	0.20
		6.8.2 सोयाबीन-आधारित बीवरेज फिल्म 6.8.3 सोयाबीन दही (टोफू) 6.8.4 अर्ध-निर्जलित सोयाबीन दही 6.8.4.1 ग्रेवी में दम की गई गाढ़ी अर्ध-निर्जलित सोयाबीन दही 6.8.4.2 निमज्ज तली अर्ध-निर्जलित सोयाबीन दही 6.8.4.3 अर्ध-निर्जलित सोयाबीन दही, खाद्य श्रेणी 6.8.4.1 और 6.8.4.2 को छोड़कर 6.8.5 निर्जलित सोयाबीन दही	4.0	0.10

श्रेणी सं.	श्रेणी	सम्मिलित उप श्रेणियाँ	संतृप्त बसा (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)	सोडियम (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)
		6.8.6 किण्वित सोयाबीन 6.8.7 किण्वित सोयाबीन दही 6.8.8 अन्य सोयाबीन प्रोटीन उत्पाद		
7.0	बेकरी उत्पाद			
7.1	ब्रेड और सादा बेकरी उत्पाद और मिक्स	7.1.1 ब्रेड और रोल 7.1.1.1 खमीर ब्रेड और स्पेशलिटी ब्रेड 7.1.1.2 सोडा ब्रेड 7.1.2 क्रैकर 7.1.3 अन्य सादा बेकरी उत्पाद 7.1.4 ब्रेड किस्म के उत्पाद, ब्रेड स्टफिंग और ब्रेड क्रंब सहित 7.1.5 भाप में पकी ब्रेड और बन 7.1.6 ब्रेड और सादा बेकरी उत्पादों के लिए मिक्स	2.6	0.25
7.2	फाइन बेकरी उत्पाद (मीठे, नमकीन, मसालेदार और मिक्स)	7.2.1 केक, कुकीज और पाईज़ 7.2.2 अन्य फाइन बेकरी उत्पाद 7.2.3 फाइन बेकरी उत्पादों के लिए मिक्स	2.6	0.25
8.0	कुक्कुट सहित मांस और मांस उत्पाद			
8.2	साबुत अथवा कटे हुए प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद	8.2.1 साबुत अथवा कटे हुए गैर-ताप उपचारित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद 8.2.1.1 संसाधित (लवणित सहित) साबुत अथवा कटे हुए गैर-ताप उपचारित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद 8.2.1.2 साबुत अथवा कटे हुए संसाधित (लवणित सहित) और शुष्कित गैर-ताप उपचारित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद 8.2.1.3 साबुत अथवा कटे हुए किण्वित गैर-ताप उपचारित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद 8.2.2 साबुत अथवा कटे हुए ताप-उपचारित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद	2.6	0.40

श्रेणी सं.	श्रेणी	सम्मिलित उप श्रेणियाँ	संतुप्त बसा (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)	सोडियम (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)
		8.2.3 साबुत अथवा कटे हुए प्रशीतित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद	5.0	कोई सीमा नहीं
8.3	प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद	<p>8.3.1 गैर-ताप उपचारित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद</p> <p>8.3.1.1 संसाधित (लवणित सहित) गैर-ताप उपचारित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद</p> <p>8.3.1.2 संसाधित (लवणित सहित) और शुष्कित गैर-ताप उपचारित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद</p> <p>8.3.1.3 किण्वित गैर-ताप उपचारित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद</p> <p>8.3.2 ताप-उपचारित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद (डिब्बाबंद पका हैम, डिब्बाबंद लंच मांस, डिब्बाबंद बारीक कटा मांस</p>	2.6	0.40
9.0	मत्स्य और मत्स्य उत्पाद, मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी सहित			
9.2	प्रसंस्कृत मत्स्य और मत्स्य उत्पाद, मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी सहित	<p>9.2.1 प्रशीतित मछली, मछली के कत्ले, और मत्स्य उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन और शूलचर्मी सहित (प्रशीतित झींगे अथवा प्रॉन, प्रशीतित केकड़े, प्रशीतित स्क्रिड, प्रशीतित फिन फिश और प्रशीतित मछली के कत्ले)</p> <p>9.2.2 प्रशीतित बैटर्ड फिश, मछली के कत्ले और मत्स्य उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी सहित</p> <p>9.2.3 प्रशीतित कीमा और क्रीमयुक्त मछली उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी सहित</p> <p>9.2.4 पकाई हुई और/अथवा तली मछली और मत्स्य उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी सहित</p>	5.0	कोई सीमा नहीं
			2.6	0.40
			5.0	कोई सीमा नहीं
			2.6	0.40

श्रेणी सं.	श्रेणी	सम्मिलित उप श्रेणियाँ	संतृप्त बसा (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)	सोडियम (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)
		<p>9.2.4.1 पकाई हुई मछली और मत्स्य उत्पाद</p> <p>9.2.4.2 पकाए हुए मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी</p> <p>9.2.4.3 तली हुई मछली और मत्स्य उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी सहित</p> <p>9.2.5 धूमित, शुष्कित, किण्वित, और/अथवा लवणित मछली और मत्स्य उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी सहित</p>		
9.3	अर्ध-परिरक्षित मत्स्य और मत्स्य उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी सहित	<p>9.3.1 मत्स्य और मत्स्य उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी सहित, मसालेदार और/अथवा जैली में</p> <p>9.3.2 मत्स्य और मत्स्य उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन और शूलचर्मी सहित, आम्लित और/अथवा लवण जल</p> <p>9.3.3 सामन प्रतिस्थापी, कैवियर और अन्य फिश रो उत्पाद</p> <p>9.3.4 अर्ध-परिरक्षित मछली और मत्स्य उत्पाद; मोलस्क, क्रस्टासियन और शूलचर्मी सहित (उदाहरणार्थ फिश पेस्ट), खाद्य श्रेणी 9.3.1-9.3.3 के उत्पादों को छोड़कर</p>	2.6	0.40
9.4	पूर्णतः परिरक्षित, डिब्बाबंद अथवा किण्वित मछली और मत्स्य उत्पाद सहित; मोलस्क, क्रस्टासियन और शूलचर्मी सहित		2.6	0.40
12.0	लवण, मसाले, सूप, सॉस, सलाद और प्रोटीन उत्पाद			
12.5	सूप और शोरबा	12.5.1 तैयार खाद्य सूप और शोरबा; डिब्बाबंद, बोतलबंद और प्रशीतित सहित	2.6	0.35

श्रेणी सं.	श्रेणी	सम्मिलित उप श्रेणियाँ	संतुप्त बसा (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)	सोडियम (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)
		12.5.2 सूप और शोरबे के लिए मिक्स		
12.6	साँस और सदृश उत्पाद	12.6.1 पायसीकृत साँस और डिप्स 12.6.2 गैर-पायसीकृत साँस 12.6.3 साँस और ग्रेवी के लिए मिक्स 12.6.4 क्लीयर साँस	4.0	0.30
12.9	सोयाबीन आधारित सीजनिंग और कंडीमेंट	12.9.1 किण्वित सोयाबीन पेस्ट	4.0	0.10
		12.9.2 सोयाबीन साँस	4.0	0.30
		12.9.2.1 किण्वित सोयाबीन साँस		
		12.9.2.2 गैर-किण्वित सोयाबीन साँस 12.9.2.3 अन्य सोयाबीन साँस		
14.0	बीवरेज, डेयरी उत्पादों को छोड़कर			
14.1	गैर-एल्कोहलीय (मृदु) बीवरेज	14.1.2 फल और सब्जी रस 14.1.2.1 फल रस 14.1.2.2 सब्जी रस 14.1.2.3 फल रस गाढ़ा 14.1.2.4 सब्जी रस गाढ़ा	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं
		14.1.3 फल और सब्जी मकरंद 14.1.3.1 फल मकरंद 14.1.3.2 सब्जी मकरंद 14.1.3.3 फल मकरंद का गाढ़ा 14.1.3.4 सब्जी मकरंद का गाढ़ा	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं
		14.1.4 जल-आधारित सुवासित पेय, "खेल", "ऊर्जा" अथवा "इलेक्ट्रोलाइट" पेय और कणमय पेय; कोबोनेटित फल बीवरेज, फल वाले कार्बोनेटित बीवरेज सहित 14.1.4.1 कोबोनेटित जल-आधारित सुवासित पेय; 14.1.4.2 गैर-कार्बोनेटित जल-आधारित सुवासित पेय, पंच और ऐडीज सहित 14.1.4.3 जल-आधारित सुवासित पेयों के लिए गाढ़े (द्रव अथवा ठोस)	कोई सीमा नहीं	0.30
		14.1.5 कॉफी, काफी प्रतिस्थापी, चाय, हर्बल आसव	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं

श्रेणी सं.	श्रेणी	सम्मिलित उप श्रेणियाँ	संतृप्त वसा (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)	सोडियम (ग्रा/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली)
		14.1.6 अन्य गर्म धान्य और अनाज बीवरेज, कोको को छोड़कर	कोई सीमा नहीं	0.20
15.0	तैयार मसालेदार खाद्य			
15.1	स्नैक्स और मसालेदार खाद्य – आलू, धान्य, आटा अथवा मांड आधारित (जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों से)		2.6	0.25
15.2	परत चढ़ी गिरियों और गिरियों के मिश्रणों सहित प्रसंस्कृत गिरियाँ		कोई सीमा नहीं	0.05
15.3	स्नैक्स – मछली आधारित		कोई सीमा नहीं	0.25
16.0	तैयारशुदा खाद्य		2.6	0.35

अनुसूची - II

छूट-प्राप्त खाद्य श्रेणियाँ

श्रेणी सं.	श्रेणी
1.1.1	दूध और मट्ठा (सादा)
1.1.1.1	दूध (सादा)
1.1.1.2	मट्ठा (सादा)
1.2	किण्वित और जमाए हुए दुग्ध उत्पाद (सादा), खाद्य श्रेणी को छोड़कर
1.2.1	किण्वित दूध (सादा)
1.2.1.1	किण्वित दूध (सादा), किण्वन के बाद ताप-उपचारित नहीं
1.2.1.2	किण्वित दूध (सादा), किण्वन के बाद ताप-उपचारित
1.2.2	जमाया हुआ दूध (सादा)
1.3	संघनित दूध और सदृश उत्पाद (सादा)
1.3.1	संघनित दूध (सादा), वाष्पित दूध, मीठा संघनित
1.3.2	बीवरेज श्वेतक
1.4	क्रीम (सादा) और समान क्रीम और मलाई
1.4.1	पाश्चुरित क्रीम (सादा), क्रीम और मलाई
1.4.2	निर्जर्मित और यू.एच.टी क्रीम, फेट और फेंटी हुई मलाई, और न्यूनित वसा क्रीम (सादा)

श्रेणी सं.	श्रेणी
1.4.3	थक्केदार क्रीम (सादा)
1.4.4	क्रीम सदृश उत्पाद
1.5	दुग्ध पाउडर और क्रीम पाउडर और पाउडर सदृश उत्पाद (सादा)
1.5.1	दुग्ध पाउडर और क्रीम पाउडर (सादा)
1.5.2	दुग्ध और क्रीम पाउडर सदृश उत्पाद
1.8	छाछ और छाछ उत्पाद, छाछ पनीर को छोड़कर
1.8.1	द्रव छाछ और छाछ उत्पाद, छाछ पनीर को छोड़कर
1.8.2	शुष्कित छाछ और छाछ उत्पाद, छाछ पनीर छाछ पाउडर को छोड़कर
2.1	जल से तत्वतः मुक्त वसाएँ और तेल
2.1.1	बटर आयल, निर्जल दुग्ध वसा, घी
2.1.2	वनस्पति तेल और वसाएँ
2.1.3	सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी, मछली का तेल, और अन्य पशु वसाएँ
2.3	मुख्यतः जल-में-तेल किस्म के पायस वसा, वसा पायसों पर आधारित मिश्र और/अथवा सुवासित उत्पादों सहित
4.1.1	ताजा फल
4.1.1.1	अनुपचारित ताजा फल
4.1.1.2	सतह उपचारित ताजा फल
4.1.1.3	छिले अथवा कटे हुए ताजा फल
4.1.2.1	प्रशीतित फल
4.2.1	ताजा सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण और गिरियाँ और बीज
4.2.1.1	अनुपचारित ताजा सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और सोयाबीन सहित फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण और गिरियाँ और बीज
4.2.1.2	सतह-उपचारित ताजा सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण और गिरियाँ और बीज
4.2.1.3	छिली, कटी अथवा कसी हुई ताजा सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण और गिरियाँ और बीज
4.2.2.1	प्रशीतित सब्जियाँ (खुमियों और कवकों, जड़ों और प्रकंदों, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण और गिरियाँ और बीज
5.1.1	कोको मिक्स (पाउडर) और कोको द्रव्य/केक
5.1.2	कोको मिक्स (सिरप)
6.1	साबुत, टूटे हुए, अथवा फ्लेकड अनाज, चावल सहित
6.2	आटा और मांड (सोयाबीन पाउडर सहित)
6.2.1	आटा

श्रेणी सं.	श्रेणी
6.2.2	मांड
6.6	लापसियाँ
8.1	ताजा मांस और कुक्कुट
8.1.1	ताजा मांस और कुक्कुट के साबुत टुकड़े अथवा कत्ले
8.1.2	ताजा मांस और कुक्कुट, विखंडित
8.3.3	प्रशीतित प्रसंस्कृतविखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद
8.4	खाद्य केसिंग (उदाहरणार्थ सॉसेज केसिंग)
9.1	ताजा मछली और मत्स्य उत्पाद; मोलस्कों, क्रस्टासियनों, और शूलचर्मियों सहित
9.1.1	ताजा मछली
9.1.2	ताजा मोलस्क, क्रस्टासियन, और शूलचर्मी
10.0	अंडे और अंडा उत्पाद
10.1	ताजा अंडे
10.2	अंडा उत्पाद
10.2.1	द्रव अंडा उत्पाद
10.2.2	प्रशीतित अंडा उत्पाद
10.2.3	शुष्कित और/अथवा ताप-स्कंदित अंडा उत्पाद
10.3	परिरक्षित अंडे; क्षारीय, लवणित, और डिब्बाबंद अंडों सहित
10.4	अंडा-आधारित डेजर्ट
11.0	मीठाकारक, शहद सहित
11.1	परिशोधित और अपरिशोधित शर्कराएँ
11.1.1	सफेद शर्करा, डेक्स्ट्रोज एनहाइड्रेट, डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज
11.1.2	चूरा शर्करा, चूरा डेक्स्ट्रोज
11.1.3	नरम सफेद शर्करा, नरम शक्कर, ग्लुकोज सिरप, शुष्कित ग्लुकोज सिरप, अपरिशोधित गन्ना, शर्करा, खंडसारी शर्करा (सल्फर शर्करा), बूरा
11.1.3.1	शर्करा मिष्ठान्न बनाने के लिए प्रयुक्त शुष्कित ग्लुकोज सिरप
11.1.3.2	शर्करा मिष्ठान्न बनाने के लिए ग्लुकोज सिरप (गोल्डन सिरप)
11.1.4	लैक्टोज
11.1.5	प्लांटेशन अथवा मिल व्हाइट शूगर (प्लांटेशन व्हाइट शूगर, क्यूब शूगर, मिश्री)
11.2	शक्कर, खाद्य श्रेणी 11.1.3 के उत्पादों को छोड़ कर
11.3	शर्करा विलयन और सिरप, (आंशिक रूप से) इन्वर्टिड भी, राब और खंडसारी सहित, खाद्य श्रेणी 11.1.3 के उत्पादों को छोड़कर
11.4	अन्य शर्कराएँ और सिरप
11.5	शहद
11.6	टैबल-टॉप मीठाकारक, उच्च तीव्रता वाले मीठाकारक युक्त सहित (सैक्करीन सोडियम, एस्पार्टेम, एसिसल्फेम,

श्रेणी सं.	श्रेणी
	पोटाशियम सूक्रालोज)
12.1	लवण और लवण प्रतिस्थापी
12.1.1	लवण (खाद्य आम नमक, लौह पौष्टित नमक, आयोडीनयुक्त नमक सहित)
12.1.2	लवण प्रतिस्थापी
12.2	जड़ी-बूटियाँ, मसाले, सीजनिंग और कंडीमेंट (उदाहरणार्थ इन्सटेंट नूडलों के लिए सीजनिंग)
12.2.1	जड़ी-बूटियाँ, मसाले
12.2.2	सीजनिंग और कंडीमेंट
12.3	सिरके
12.4	सरसों
12.7	सलाद और सैंडविच स्प्रेड, खाद्य श्रेणी 4.2.2.5 और 5.1.3 के कोको-और गिरी आधारित स्प्रेडों को छोड़कर
12.8	खमीर और समान उत्पाद
12.10	प्रोटीन उत्पाद, सोयाबीन उत्पादों को छोड़कर
13.0	विशेष पौषणिक उपयोगों के लिए आशयित खाद्य सामग्रियाँ
13.1	शिशु फॉर्मूली, अनुवर्ती फॉर्मूली, और शिशुओं के लिए विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए फॉर्मूली
13.1.1	शिशु फॉर्मूली
13.1.2	अनुवर्ती फॉर्मूली
13.1.3	शिशुओं के लिए विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए फॉर्मूली
13.2	शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए अनुपूरक आहार
13.3	विशेष चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मिताहार (खाद्य श्रेणी 13.1 के उत्पादों को छोड़कर)
13.4	वजन कम करने के लिए मिताहार फार्मूली
13.5	मिताहार, (उदाहरणार्थ मिताहार के लिए प्रतिपूरक आहार), खाद्य श्रेणी 13.1-13.4 और 13.6 के उत्पादों को छोड़कर
13.6	आहार संपूरक
14.1.1	जल
14.1.1.1	प्राकृतिक खनिज जल और स्रोत जल
14.1.1.2	टेबल वाटर और सोडा वाटर
14.2	एल्कोहलीय बीवरेज, एल्कोहल मुक्त और अल्प एल्कोहलीय बीवरेज प्रतिरूप सहित
14.2.1	बीयर और माल्ट बीवरेज
14.2.2	सेब की मदिरा और नाशपाती की मदिरा
14.2.3	अंगूर की मदिरा
14.2.3.1	अंगूर की भट्टी शराब
14.2.3.2	चमकीली और अर्ध-चमकीली अंगूर की मदिरा
14.2.3.3	पौष्टित अंगूर की मदिरा, ग्रेप लिकर मदिरा, और मीठी ग्रेप वाइन
14.2.4	मदिराएँ (अंगूर की मदिरा को छोड़कर)
14.2.5	शहद की मदिरा
14.2.6	15% से अधिक एल्कोहल युक्त आसुत स्पिरिट वाले बीवरेज
14.2.7	सुगंधित एल्कोहलीय बीवरेज

अनुसूची-III


(1) पौष्टित खाद्य के प्रत्येक पैकेज के लेबल पर “..... से पौष्टित (पोषक तत्व का नाम)” और नीचे निर्दिष्ट लोगो अंकित हो। लोगो के नीचे “संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन” प्रचार वाक्य भी हो सकता है।



**Fortified with....
SAMPOORNA POSHAN
SWASTHA JEEVAN**




**.... से पौष्टित
संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन**



All dimensions in millimeters

A	B	C	D	a	E (w x h)	F (w x h)	G (w x h)
20	20	2.2	3.1	0.8	7.27 x 9.51	5.67 x 5.84	16.98 x 10.93
40	40	4.4	6.3	1.7	14.54 x 19.03	11.35 x 11.68	33.96 x 21.87
80	80	8.9	12.5	3.4	29.08 x 38.07	22.7 x 23.36	67.92 x 43.75
160	160	17.9	25.4	6.9	58.17 x 76.14	45.39 x 46.72	135.85 x 87.5
320	320	35.6	50.6	13.8	116.35 x 152.29	90.77 x 93.44	275.25 x 175.01





अनुसूची – IV

1. अनिवार्य घोषणाएँ:

(1) निम्नलिखित संघटकों/सहयोज्य पदार्थों वाले प्रत्येक खाद्य पैकेज के लेबल पर आयताकार बॉक्स में निम्नलिखित घोषणाएँ हों, अर्थात्,-

क्रम सं.	संघटक/सहयोज्य पदार्थ	घोषणा
1.	10% अथवा अधिक पॉलियॉल	पॉलियॉल का रेचक प्रभाव हो सकता है।
2.	10% अथवा अधिक पॉलिडेक्स्ट्रोज	पॉलिडेक्स्ट्रोज का रेचक प्रभाव हो सकता है।
3.	योजित कैफीन	योजित कैफीन युक्त। बशर्ते यदि कैफीन उत्पाद में डाली गई हो तो, तो डाली गई कैफीन की मात्रा (ppm में) भी संघटकों की सूची में घोषित हो।
4.	आइसोमाल्टूलोज	आइसोमाल्टूलोज युक्त है (कैलोरी)

(2) निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं वाले प्रत्येक खाद्य पैकेज के लेबल पर आयताकार बॉक्स में निम्नलिखित घोषणाएँ हों, अर्थात्,-

क्रम सं.	खाद्य वस्तु	घोषणा
1.	मैदा, सुधारकों अथवा विरंजकों से उपचारित	गेहूँ का आटा, सुधारकों/विरंजकों से उपचारित, केवल बेकरियों में उपयोग के लिए
2.	40ppm से अधिक सल्फर डाईऑक्साइड युक्त शुष्क ग्लूकोज सिरप	शुष्कित ग्लूकोज सिरप, केवल शर्करा मिष्ठान्न में उपयोग के लिए
3.	फ्रूट स्कवैश, चाहे किसी नाम से बेचा जाए, अतिरिक्त सोडियम अथवा पोटेशियम लवण युक्त	अतिरिक्त सोडियम/पोटेशियम लवणयुक्त
4.	30% से अधिक चावल के भूसे के तेल से बनी बेकरी और औद्योगिक मार्गरीन	बेकरी और औद्योगिक मार्गरीन का यह पैकेज भारतानुसार 30% से अधिक चावल के भूसे के तेल से बनी है।
5.	कार्बोनेटित अथवा गैर-कार्बोनेटित बीवरेजों में उपयोग के लिए सुवास पायस और सुवास पेस्ट	केवल कार्बोनेटित अथवा गैर-कार्बोनेटित बीवरेजों में उपयोग के लिए सुवास पायस और सुवास पेस्ट
6.	पनीर, यदि खाद्य ग्रेड के मोम से लेपित अथवा उसमें पैकड हो	उपभोग से पहले लेपित मोम को हटा दिया जाए।

7.	प्रशीतित डेजर्ट/प्रशीतित मिष्ठान	प्रशीतित डेजर्ट/प्रशीतित मिष्ठान खाद्य वनस्पति तेल*/और वनस्पति वसा* से बनाया गया है।
8.	आम नमक	आयोडीनीकरण*/लौह पौष्टिकीकरण*/पशु उपयोग*/औषध*/ औद्योगिक उपयोग* के लिए
9.	ताजा फल, यदि मोम लेपित हो	मोमलेपित (मोम का नाम लिखें)
10.	मानव उपभोग के लिए जिलेटिन	जिलेटिन, खाद्य ग्रेड

***जो लागू न हो, उसे काट दें।**

(3) निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं वाले प्रत्येक खाद्य पैकेज पर और उससे संबंधित विज्ञापन में आयताकार बॉक्स में निम्नलिखित चेतावनी और/अथवा घोषणा हो, अर्थात्,-

क्रम सं.	खाद्य वस्तु	घोषणा
1.	पान मसाला	पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
2.	सुपारी	सुपारी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
3.	“टेबल टॉप मीठाकारक” के रूप में विपणित एस्पार्टेम (मिथाइल एस्टर), एसीसल्फेम पोटेशियम, सूक्रालोज और सैक्करीन सोडियम, नियोटेम	(i)युक्त (कृत्रिम मीठाकारक का नाम) (ii) बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं
4.	एस्पार्टेम (मिथाइल एस्टर), “टेबल टॉप मीठाकारक के रूप में विपणित”	“फिनायलकेटोन्यूरिक्स के लिए नहीं”

(4) निम्नलिखित संघटकों/सहयोज्य पदार्थों वाले प्रत्येक खाद्य पैकेज पर और उससे संबंधित विज्ञापन में आयताकार बॉक्स में निम्नलिखित चेतावनी और/अथवा घोषणा हो, अर्थात्,-

क्रम सं०	खाद्य वस्तु	घोषणा
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य पदार्थ) विनियम, 2011 में उल्लिखित कृत्रिम/गैर-पोषक मीठाकारक	(i).....युक्त (कृत्रिम/गैर-पोषक मीठाकारक का नाम) (ii) बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं। (iii) *फिनायलकेलोन्यूरिक्स के लिए नहीं (एस्पार्टेम योजित होने पर)
2.	मोनोसोडियम ग्लुटामेट (खाद्य का नाम) का यह पैकेज योजित मोनोसोडियम युक्त है। 12 मास से छोटे शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं।

***जो लागू न हो उसे काट दें।**

(5) पैकेजबंद पेय जल और खनिज जल की एक बार प्रयोग प्लास्टिक की बोतलों पर निम्नलिखित घोषणा हो:

प्रयोग के बाद बोतल को मरोड़ दें

(6) फैट स्ट्रैड, दुग्ध उत्पाद, दूध आधारित फल पेय, किण्वित दुग्ध उत्पाद, सोया और चावल पेय, पनीर उत्पाद, दही उत्पाद, मसाला सॉस, सलाद ड्रेसिंग, रस और मकरंदजो पादप स्टैनॉल एस्टरयुक्त हैं उनके प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल हो, अर्थात्,-

- प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली में ग्रा पादप स्टैनाॅल एस्टर (पादप स्टैनाॅल के रूप में) युक्त।
- कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली औषधि लेने वाले रोगी उत्पाद का उपयोग डॉक्टर की सलाह से करें।
- गर्भवती और धात्री महिलाओं और पाँच वर्ष से छोटे बच्चों के लिए पोषण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- प्रति दिन कुल 3 ग्रा से अधिक स्टेराॅल, स्टैनाॅल अथवा उनके मिश्रण का सेवन न करें।

(7) जिन बिस्कुटों, ब्रेडों, केकों, अल्पाहार धान्यों, कार्बोनेटित जल, ऊष्मा-प्रसंस्कृत फलों, फल रसों, फल मकरंदों, फल वीवरेजों, फल स्कवैशों, जैम, जैली, फल पनीर, मार्मलेड, डेयरी आधारित पेयों, दुग्ध पाउडर, कार्बोहाड्रेट-आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयों, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेडा, खोया बर्फी, मैक्रोनी उत्पाद, नूडल, पास्ता, मिठाई और मिष्ठान, कैंडी और आइसिंग, सेवरी और स्नैकों में ट्रीहैलोज डाला जाता है, उनके प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल हो, अर्थात्,-

ट्रीहैलोज युक्त

(8) जिन फलेकों और तैयार खाद्य शुष्क अल्पाहार धान्यों, नूडलों, पास्ता, सलाद ड्रेसिंगों अथवा टॉपिंगों और स्प्रेडों; फिलर अथवा कैरियर के रूप में टेबल टॉप फाइबर, धान्यों और अन्य स्नैक आहार अथवा सेवरियों और बिस्कुट, कुकी, ब्रेड, केक मिक्स और पेस्ट्री सहित बेकरी उत्पादों और अन्य उत्पादों में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के अंतर्गत डेक्स्ट्रिन अनुमत और जिनमें योजित आहार रेशा (डेक्स्ट्रिन-विलेय रेशा) होता है, पर निम्नलिखित घोषणा हो, अर्थात्,-

..... (विलेय आहार रेशा स्रोत) आहार रेशा (डेक्स्ट्रिन) युक्त


(9) पादप स्टेराॅल युक्त फैट स्प्रेड, दुग्ध उत्पादों, दूध आधारित फल पेयों, किण्वित दुग्ध उत्पादों, सोया और चावल पेयों, पनीर उत्पादों, दही उत्पादों, मसाला साँसों, सलाद ड्रेसिंगों, रसों और मकरंदों, खाद्यतेलों, और बेकरी उत्पादों पर निम्नलिखित घोषणाएँ हों, अर्थात्,-

- प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली में ग्रा पादप स्टेराॅल (फाइटोस्टेराॅलों के रूप में) युक्त।
- कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली औषधि लेने वाले रोगी उत्पाद का उपयोग डॉक्टर की सलाह से करें।
- गर्भवती और धात्री महिलाओं और पाँच वर्ष से छोटे बच्चों के लिए पोषण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- प्रति दिन कुल 3 ग्रा से अधिक स्टेराॅल, स्टैनाॅल अथवा उनके मिश्रण का सेवन न करें।

(10) (क) जिस खाद्य का आयन विकिरण से उपचार किया गया हो, उसके लेबल पर उपचार का उल्लेख करते हुए खाद्य के नाम के निकट एक लिखित कथन हो।

(ख) जिस खाद्य का खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.13 के अंतर्गत विकिरण से उपचार किया गया हो, उसके लेबल पर हरे रंग में Radura लोगो निम्नलिखित घोषणा हो, अर्थात्,-

विकिरण-प्रसंस्कृत


उत्पाद का नाम :
विकिरण प्रसंस्करण का प्रयोजन :
प्रचालन लाइसेंस सं० :
खेप पहचान सं० (बी.आई.एन) (सुविधा द्वारा प्रदत्त) :
प्रसंस्करण की तिथि :

2. लेबलिंग पद्धति की विशिष्ट अपेक्षाएँ/प्रतिषेध

2.1 शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी और शिशु आहार पर लेबलिंग.-

(1) शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी/शिशु आहार की जिस सामग्री के मानक खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के अंतर्गत निर्धारित न हों, उसका बिक्री के लिए निर्माण, बिक्री के लिए प्रदर्शन अथवा बिक्री के लिए भंडारण प्राधिकरण से ऐसी खाद्य वस्तु और उसके लेबल का अनुमोदन लेने के बाद ही किया जाए।

(2) इन विनियमों की किसी लेबलिंग अपेक्षा से संबंधित किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी अथवा शिशु आहार के प्रत्येक धारक अथवा उस पर अंकित लेबल पर स्पष्ट, दृश्यमान और सुबोध ढंग से "महत्वपूर्ण सूचना" शब्द बड़े वर्णों में लिखे जाएँ और उसके नीचे निम्नलिखित विवरण लिखे जाएँ, अर्थात्,-

- (क) "माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है" वाक्य बड़े अक्षरों में। प्रयुक्त वर्णों का साइज पाँच मिलीमीटर से कम न हो और ऐसा वाक्य शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी अथवा शिशु आहार अथवा उस पर लगाए गए लेबल के धारक के केंद्रीय पैनल में हो। मुद्रित अथवा प्रयुक्त पाठ का रंग लेबल, धारक, जैसी भी स्थिति हो, की पृष्ठभूमि से भिन्न हो। शिशु आहार के मामले में "शिशु आहार केवल छह महीने की उम्र के बाद और दो साल की उम्र तक ही दिया जाए" कथन भी हो;
- (ख) यह कथन कि शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी अथवा शिशु आहार केवल स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह से दिया जाए;
- (ग) यह चेतावनी कि शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी अथवा शिशु आहार शिशु के पोषण का एकमात्र स्रोत नहीं होता;
- (घ) शिशु आहार को छोड़कर निर्माण की प्रक्रिया (उदाहरणार्थ फुहार शुष्कित); बर्तनों, बोतलों और निप्पलों की धुलाई सहित उपयुक्त और स्वच्छ तरीके से तैयार करने के निर्देश से संबंधित कथन और अनुपयुक्त तरीके से तैयार करने के विरुद्ध चेतावनी, यथा:

"चेतावनी/सावधान – शिशु आहार/शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी को सावधानीपूर्वक और स्वच्छ तरीके से तैयार करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत अनिवार्य है। बताई गई चम्मचों से कम चम्मच न डालें, क्योंकि कम चम्मच डालने से आपके शिशु को आवश्यक पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। बताई गई चम्मचों से ज्यादा चम्मचें न डालें, क्योंकि गाढ़े आहार से आपके शिशु को आवश्यक पानी नहीं मिलेगा।"

- (ङ) यह विशिष्ट उल्लेख करते हुए भंडारण अवस्था कि "वायुरुद्ध धारक में ठंडे और सूखे स्थान में रखें" अथवा ऐसा ही निर्देश (खोलने के बाद सामग्री का उल्लिखित अवधि में अथवा समाप्ति की तिथि से पहले, जो भी पहले हो, प्रयोग कर लें);
- (च) फीडिंग चार्ट और उपयोग के निर्देश तथा बचे हुए आहार को फेंकने के निर्देश;

- (छ) मापन चम्मच (स्तर अथवा हीण्ड) के उपयोग और प्रति चम्मच मात्रा के निर्देश (चम्मच हर पैक के साथ दी जाए);
- (ज) उत्पाद में उच्च गुणता के प्रोटीन का दावा किया जाने पर प्रोटीन दक्षता अनुपात (पी.ई.आर.) न्यूनतम 2.5 होगा;
- (झ) उपयुक्त श्रेणी नाम के अतिरिक्त सहयोज्य पदार्थ, यदि अनुमत हो, का विशिष्ट नाम घोषित किया जाए।
- (3) शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी अथवा शिशु आहार से संबंधित 2.1(2) में उल्लिखित किसी धारक अथवा लेबल में किसी शिशु अथवा महिला अथवा दोनों का कोई चित्र न हो। उस पर शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी अथवा शिशु आहार की विक्री की संभावना को बढ़ाने के लिए कोई चित्र अथवा अन्य ग्राफीय सामग्रियाँ अथवा वाक्यांश न हों। "मानवीकृत" अथवा "मातृकित" अथवा अन्य मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग न किया जाए। पैकेज और/अथवा शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी अथवा शिशु आहार के किसी अन्य लेबल पर "पूर्ण प्रोटीन आहार", "ऊर्जा आहार", "पूर्ण आहार" अथवा "स्वास्थ्य आहार" शब्द अथवा अन्य कोई मिलती-जुलती अभिव्यक्ति न हो।
- (4) समय-पूर्व जन्मे शिशुओं (37 सप्ताह से पहले जन्मे)/अल्प भार शिशुओं (2.5 किग्रा से कम) के शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी के धारकों अथवा उनके लेबलों पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दी जाए, अर्थात्,-
- (क) केंद्रीय पैनल में उत्पाद के नाम के साथ **"समय-पूर्व जन्मे शिशु (37 सप्ताह से पहले जन्मे)/अल्प भार शिशुओं (2.5 किग्रा से कम)"** शब्द बड़े वर्णों में।
- (ख) यह कथन कि **"अल्प भार शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिलने लगने पर डॉक्टरी सलाह से बंद कर दिया जाए"**; और
- (ग) बड़े वर्णों में यह कथन कि **"डॉक्टरी सलाह से लिया जाए"**।
- (5) जिस उत्पाद में न तो दूध हो न ही दुग्ध-व्युत्पन्न हो, उस पर दृश्यमान तरीके से **"दूध अथवा दुग्ध उत्पाद अथवा दुग्ध-व्युत्पन्न रहित"** शब्दों का लेबल लगाया जाए।
- (6) लैक्टोज अथवा लैक्टोज और सूक्रोज बरदास्त न कर सकने वाले शिशुओं के शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी के धारक अथवा उसके लेबल पर **"लैक्टोज मुक्त अथवा सूक्रोज मुक्त अथवा लैक्टोज और सूक्रोज मुक्त"** शब्द बड़े वर्णों में और **"डॉक्टरी सलाह से लिया जाए"** कथन दृश्यमान रूप से अंकित हो।
- (7) गाय/भैंस के दुग्ध प्रोटीन और विनियम 4.2.2 के खंड (च) में संभावी एलर्जनों के रूप में सूचीबद्ध प्रोटीनों से एलर्जी वाले शिशुओं के लिए शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी के धारक के लेबल पर **"हाइपोएलर्जिनिक फॉर्मूला"** शब्द और **"डॉक्टरी सलाह से लिया जाए"** कथन बड़े वर्णों में दृश्यमान रूप से अंकित हो।
- (8) जहाँ **"6 माह से कम उम्र के शिशुओं के लिए अनुशंसित नहीं"** शब्द अपेक्षित हों, वहाँ उनके चारों तरफ लाइन हो।
- (9) **"6 माह से कम उम्र के शिशुओं के लिए अनुशंसित नहीं"** शब्दों और उन्हें घेरने वाली रेखा के किसी भाग के बीच दूरी 1.5 मि.मी. से कम न हो।

2.2 खाद्य तेलों और वसाओं की लेबलिंग

- (1) खाद्य परिशोधित वनस्पति तेलों और वसाओं के पैकेज, लेबल पर अथवा विज्ञापन में **"अति परिशोधित"**, **"अतिरिक्ततः परिशोधित"**, **"सूक्ष्मतः परिशोधित"**, **"दोहरा परिशोधित"**, **"अत्यधिक परिशोधित"** जैसी अतिशयोक्तियों का प्रयोग न किया जाए।

(2) 30% से अधिक चावल के भूसे के तेल से बने वनस्पति के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल अंकित हो, अर्थात्,-

“वनस्पति का यह पैकेज भारतानुसार 30% से अधिक चावल के भूसे के तेल से बना है।”

(3) एन्नाटो रंग वाले वनस्पति तेलों वाले पैकेज पर निम्नलिखित लेबल हो, अर्थात्,-

एन्नाटो रंग युक्त

(4) खाद्य तेलों के अधिमिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज के लेबल पर उसके ब्रांड नाम के तुरंत नीचे निम्नलिखित घोषणा हो, अर्थात्,-

मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल
(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति*) % भारतानुसार
(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति*) % भारतानुसार

(*अपरिशोधित अथवा परिशोधित रूप में)

लेबल घोषणा “मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल” का फॉन्ट साइज 5 मि.मी. से कम न हो।

सम्मुख/केंद्रीय पैनल पर उत्पाद के नाम के साथ बड़े अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा भी हो,-

खुला न बेचा जाए

2.3 कॉफी-कासनी मिश्रण

(1) कॉफी और कासनी के मिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित घोषणाओं वाला लेबल हो,-

कासनी मिश्रित कॉफी
मिश्रण की सामग्री
कॉफी प्रतिशत
कासनी प्रतिशत

(2) इन्स्टैंट कॉफी-कासनी मिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित घोषणाओं वाला लेबल हो,-

कॉफी और कासनी के मिश्रण से तैयार इन्स्टैंट कॉफी-कासनी मिश्रण
कॉफी प्रतिशत
कासनी प्रतिशत

2.4 दूध और दुग्ध उत्पादों की लेबलिंग

(1) जिन दुग्ध पाउडरों, मखनिया दूध पाउडरों और संघनित दूध और मिलते-जुलते उत्पादों को द्रव दूध के रूप में पुनः बदला जा सकता है, उनके लेबल पर निम्नलिखित घोषणा हो:

शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी के रूप में प्रयोग न किया जाए

(2) संघनित दूध (मीठे और सुवासित) के मामले में:

छह माह से छोटे शिशुओं के लिए नहीं

2.5 पैकेजबंद पेय जल और पैकेजबंद खनिज जल पर लेबलिंग संबंधी प्रतिबंध

- (1) मानक में शामिल उत्पाद के गुणधर्मों के संबंध में औषधीय प्रभावों (निवारक, सुधारक अथवा आरोग्यकर) के बारे में कोई दावा न किया जाए। उपभोक्ता के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य लाभकारी प्रभावों के दावे न किए जाएँ।
- (2) जगह, टोला अथवा किसी निर्धारित स्थान का नाम व्यापारिक नाम का तब तक अंग न बने जब तक उसमें उस पैकेजबंद जल का हवाला न हो, जो उस व्यापारिक नाम द्वारा घोषित उस स्थान से एकत्रित का न हो।
- (3) जिस कथन अथवा चित्रात्मक युक्ति से जनता के मन में कोई भ्रम उत्पन्न हो जाए अथवा जिससे बिक्री के लिए प्रस्तुत ऐसे जल की प्रकृति, मूल, संघटन, और गुणधर्मों के बारे में भ्रम हो जाए, उसका प्रयोग वर्जित है।

2.6 'ग्लूटेन मुक्त' और 'अल्प ग्लूटेन' की लेबलिंग

- (1) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.14 में उल्लिखित उत्पादों के मामले में "ग्लूटेन मुक्त" शब्दों को उत्पाद के नाम एकदम साथ मुद्रित किया जाए, अर्थात्,-

"ग्लूटेन मुक्त"

यदि किसी ग्लूटेन मुक्त उत्पाद का निर्माण किसी ऐसे प्लांट में किया जाता है जहाँ ग्लूटेन युक्त उत्पाद भी निर्मित होते हैं, तो इसे लेबल पर घोषित किया जाएगा, "एक ऐसे प्लांट में संसाधित किया जाता है जहाँ ग्लूटेन युक्त उत्पाद निर्मित होते हैं"

2.7 एल्कोहलीय बीवरेजों की लेबलिंग

एल्कोहलीय बीवरेजों के लेबलों पर अंग्रेजी में नीचे निर्दिष्ट वैधानिक चेतावनी मुद्रित हो। यदि संबंधित राज्य इसे अपनी स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित कराना चाहें तो वह अनुमत होगी और ऐसा करते समय अंग्रेजी को दोहराना जरूरी नहीं होगा। वैधानिक चेतावनी का फ्रॉन्ट आकार 200 मिलीलीटर तक के पैक आकार के लिए 1.5 मिमी और 200 मिलीलीटर से ऊपर के पैक आकार के लिए 3 मिमी से कम नहीं होगा।

**शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
सुरक्षित रहें – शराब पीकर गाड़ी न चलाएँ।**

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4असा./111/19]

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

F.No 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014(Pt-2).—The following draft of certain regulation which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make in supersession of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, with previous approval of Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub section (2) of section 92 read with section 23 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of

2006) hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified shall be considered by the Food Safety and Standards authority of India.

Draft Regulations

FOOD SAFETY AND STANDARDS (LABELLING AND DISPLAY) REGULATIONS, 2019

CHAPTER 1

GENERAL

1. Short Title and Commencement.—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2019.

(2) These regulations prescribe the labelling requirements of pre-packaged foods and display of essential information on premises where food is manufactured, processed, served and stored.

(3) They shall come into force with effective date for implementation to be either 1st January or 1st July subject to a minimum of 180 days from the date of their final publication in the official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations unless the context otherwise requires: -

1. “**act**” means the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act 34 of 2006).
2. “**assorted pack**” means any retail pack which contains multiple units of different pre-packaged commodities provided that it complies with the general labelling requirement specified in regulation 4.1(8).
3. “**best before date**” means the date which signifies the end of the period under any stated storage conditions during which the product shall remain fully marketable and shall retain any specific qualities for which tacit or express claims have been made. Beyond that date, the food may still be perfectly safe to consume, however, its quality may have diminished.
4. “**compound food**” means a food made with more than one commodity/food as its ingredients.
5. “**date of manufacture**” means the date on which the food becomes the product as described.
6. “**date of packaging**” means the date on which the food product is placed in the immediate container in which it will be ultimately sold.
7. “**e-commerce**” means buying and selling of goods and services over digital and electronic network.”
8. “**foods for catering purposes**” means those foods for use in restaurants, canteens, schools, hospitals, quick service restaurants (QSR), home delivery operators, caterers and similar institutions where food is offered for immediate consumption.
9. “**high fat, sugar, salt (HFSS) food**” means a processed food product which has high levels of saturated fat or trans fat or added sugar or sodium. The declared values of these ingredients are such that the product; does not satisfy the value of energy (kcal) from added sugar less than 10 percent of total energy, or energy from trans fat less than 1 percent of total energy; or has saturated fat or sodium above the thresholds specified under Schedule –I of these regulations.
10. “**infant**” means a child not more than twelve months of age.
11. “**labelling**” means any written, printed or graphic matter that is present on the label, accompanies the food or is displayed near the food, including that for the purpose of promoting its sale or disposal.
12. “**lot number**” or “**code number**” or “**batch number**” means the identification mark declared on the label by the use of numeral or alphabet or combinations thereof, preceded by “Lot number” or “code number” or “batch number” by which the food can be traced in manufacture and identified in distribution.
13. “**multi-unit package**” means a package containing two or more individually packaged or labelled units of the same food article of identical net quantity, intended and displayed for retail sale either in individual units or package as a whole.

14. “**non-retail containers**” means any container that is not indented to be offered for direct sale to consumer. The food in such container is of same kind, pre-packaged or not, and intended for further business operations or processing activities.
15. “**non-vegetarian food**” means an article of food which contains whole or part of any animal including birds, insects, fresh water or marine animals or eggs or products of any animal origin, but does not include milk, milk products, honey or bees wax or carnauba wax or shellac wax.
16. “**package/container**” means a pre-packed box, bottle, casket, tin, barrel, case, pouch, receptacle, sack, bag, wrapper or such other things in which an article of food is packed;
17. “**recommended dietary allowances (RDA)**” means the amounts of dietary energy and nutrients considered sufficient for maintaining good health by the people of a country.
Note: For the purpose of these regulations, RDA values as provided in ICMR Dietary Guidelines for Indians shall be applicable. If Indian RDA is not available for any nutrient, values provided in Codex/WHO Guidelines shall be applicable.
18. “**pre-packaged food**” means food, which is placed in a package of any nature, in such a manner that the contents cannot be changed without tampering it and which is ready for sale to the consumer.
Note: The expression “package” wherever it occurs in these Regulations, shall be construed as package containing prepackaged food articles.
19. “**principal display panel**” means that part of the container/package which is intended or likely to be displayed or presented or shown or examined by the customer under normal and customary conditions of display, sale or purchase of the food article contained therein.
20. “**retail pack**” or “Retail unit” means the packages which are intended for sale to ultimate consumer for the purpose of consumption of the food contained therein.
21. “**use by**” or “**expiry**” means the date, which signifies the end of the estimated period under any stated storage conditions, after which the product may not remain safe and the food, shall not be sold or distributed for human consumption.
22. “**vegetarian food**” means any article of food other than Non-Vegetarian Food as defined in these regulations.

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, rules or regulations made thereunder, shall have the meanings assigned to them in the Act, rules or regulations, respectively.

3. The FSSAI may establish an internal mechanism to address the problem arising out of implementation/ interpretation of the regulations.

CHAPTER- 2

LABELLING

4. LABELLING OF PREPACKAGED FOODS

4.1 General Requirements. -

- (1) Every prepackaged food shall be labeled with information as required under these regulations unless otherwise provided.
- (2) When a food product is sold through e-commerce or any other direct selling means, the mandatory requirements of the label as given in these regulations shall be provided to the consumer through appropriate means before sale.
- (3) Pre-packaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character in any respect.
- (4) Any information or pictorial device written, printed, or graphic matter may be displayed on the label provided that it is not in conflict with the requirements of these regulations.
- (5) The particulars of declaration required under these Regulations printed on the label shall be in English or Hindi in Devnagri script:

Provided that nothing herein contained shall prevent the use of any other language in addition to the language required under this regulation:

Provided further that the information provided in such other language shall not contradict the information on the label in the English or Hindi.

- (6) Label on pre-packaged foods shall be applied in such a manner that it will not become separated from the container.

(7) Contents on the label shall be clear, unambiguous, prominent, conspicuous, indelible and readily legible by the consumer under normal conditions of purchase and use.

(8) Where a package is provided with an outside container or wrapper and such container or wrapper is displayed for retail sale, it shall also contain all the declarations which are required to appear on the package except where such container or wrapper itself is transparent and the declarations on the package(s) are easily readable through such outside container or wrapper.

Note: for the purpose of this clause in case of a multi-unit package containing several retail units the label of at least one retail unit containing the declarations required under these regulations shall be visible.

4.2 Labelling Requirements. - In addition to general requirements specified in Regulation 4.1, every package shall carry the following information on the label, namely: -

- (1) **The Name of Food:** The name of the food shall indicate the true nature of the food contained in the package.
- Where a food is specified by certain essential composition under Food Safety and Standards Regulations made under Food Safety and Standards Act, 2006, that establishes its identity the name provided therein shall be used.
 - In the absence of such name, either a common or usual name or an accompanying description of true nature of food shall be used. It may additionally have a “coined”, “fanciful”, “brand” or “trade name”.
- (2) **List of Ingredients:** Except for single ingredient foods, a list of ingredients shall be declared on the label in the following manner:-
- The list of ingredients shall contain an appropriate title, such as the term “Ingredients/List of Ingredients”.
 - The name of ingredients used in the product shall be listed in descending order of their composition by weight or volume, as the case may be at the time of its manufacture.
 - A food additive carried over into a food in an amount sufficient to perform a technological function in that food as a result of the use of raw material or other ingredients in which the additives was used shall be included in the list of ingredient.
 - A specific name shall be used for ingredients in the list of ingredients.

Provided that for ingredients falling in the respective classes, the following class titles may be used, namely: -

Sl. No.	Name of the classes	Class title
1	Edible vegetable oil	Give name of the specific edible oil such as mustard oil, groundnut oil, etc.
2	Edible vegetable fat	Give type of vegetable fat (interesterified vegetable fat, hydrogenated oils, partially hydrogenated oils, edible vegetable fats, margarine and fat spreads, such as mixed fat spreads, vegetable fat spreads)
3	Animal fat / oil other than milk fat	Give name of the source of fat
4	Starches, other than chemically modified starches	Starch
5	All species of fish where the fish constitutes an ingredient of another food and provided that the labelling and presentation of such food does not refer to a species of fish	Fish
6	All types of meat where such meat constitutes an ingredient of another food and provided that the labelling and presentation of such a food does not refer to a specific type of meat	Give name of the source of meat
7	All types of cheese where cheese or mixture of cheese constitute an ingredient of another food and provided that the labelling and presentation of such a food does not refer to a specific type of cheese	Cheese
8	All spices and condiments and their extracts	Spice and condiments or mixed spices/condiments as appropriate
9	All types of gum or preparations used in the manufacture of gum base for chewing gum	Gum base
10	Anhydrous dextrose and dextrose monohydrate	Dextrose or Glucose
11	All types of sucrose	Sugar

Sl. No.	Name of the classes	Class title
12	All types of caseinates	Caseinates
13	Press, expeller or refined cocoa butter	Cocoa butter
14	All crystallized fruits/vegetables	Crystallized fruit/vegetable
15	All milk and milk products derived solely from milk	Milk solids (source may also be given)
16	Cocoa bean, Cocoa nib, Cocoa mass, Cocoa press cakes, Cocoa powder (Fine/dust)	Cocoa solids
17	All vitamins	Vitamins
18	All minerals and trace elements	Minerals

(f) Where an ingredient is itself the product of two or more ingredients, such a compound ingredient shall be declared, as such, in the list of ingredients, provided that it is immediately accompanied by a list, in brackets, of its ingredients in descending order of proportion (m/m):

Provided that where a compound ingredient constitutes less than 5% of the food, the ingredients, other than food additives, need not be declared:

Provided that the following ingredients which are known to cause allergy shall be declared separately as “Contains..... (Name of allergy causing ingredients)” -

- (i) Cereals containing gluten; i.e., wheat, rye, barley, oats, spelt or their hybridized strains and products of these;
- (ii) Crustacean and their products;
- (iii) Milk & Milk products;
- (iv) Eggs and egg products;
- (v) Fish and fish products;
- (vi) Peanuts, tree nuts and their products;
- (vii) Soybeans and their products;
- (viii) Sulphite in concentrations of 10mg/kg or more.

(g) Added water shall be declared in the list of ingredients except in cases where water forms part of an ingredient, such as, brine, syrup or broth, used in the compound food and so declared in the list of ingredients:

Provided that water or other volatile ingredients evaporated in the course of manufacture need not be declared.

Provided further that in case of dehydrated or condensed food, which are intended to be reconstituted by addition of water, the ingredients in such reconstituted food shall be declared in descending order of weight or volume as the case may be, and shall contain a statement such as “Ingredients of the product when prepared in accordance with the directions on the label”.

(h) Every package of food sold as a mixture or combination shall disclose the percentage of the ingredient (including compound ingredients or categories of ingredients) used at the time of the manufacture of the food, if such ingredient—

- (i) is emphasized as present on the label through words or pictures or graphics; or
- (ii) is not within the name of the food but, is essential to characterize the food and is expected to be present in the food by consumers, if the omission of the quantitative ingredient declaration will mislead or deceive the consumer:

Provided that such disclosures are not required where -

- (i) the ingredients are spices or herbs used as flavouring agents;
- (ii) a reference in the name of food to an ingredient or category of ingredients, if that reference would not mislead or deceive or would not be likely to create an erroneous impression to the consumer regarding the character of the food because the variation in quantity of ingredient(s) between products is not necessary to characterize the food or distinguish it from similar foods;
- (iii) the drained net weight is indicated on the label as required, except in case of mixed ingredients products where certain ingredient(s) is/are emphasized.;
- (iv) specific provisions are stipulated under these regulations for a food;

(v) a pictorial representation of a serving suggestion is made for consumer information and use.

(3) Nutritional information.-

(a) For the purposes of these regulations, nutritional information is a description intended to inform the consumer of nutritional properties of the food and the following definitions shall be applicable:

(i) 'sugars' means all monosaccharides (glucose, fructose, etc.) and disaccharides (maltose, sucrose, lactose, etc.).

(ii) 'added sugars' means monosaccharides and disaccharides added to foods and beverages by the manufacturer, cook or consumer during processing or preparation.

(iii) 'fat' means total lipids including saturated fat, monounsaturated fat, polyunsaturated fat and trans fat.

(A) 'Saturated fats' means fatty acids without double bonds.

(B) 'Monounsaturated fats' means fatty acids with one cis double bond.

(C) 'Polyunsaturated fats' means fatty acids with cis-cis methylene interrupted double bonds.

(D) 'Trans fat' means all the geometrical isomers of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids having non-conjugated, interrupted by at least one methylene group, carbon-carbon double bonds in the trans configuration.

(iv) "dietary fiber" means carbohydrate polymers with a degree of polymerization (DP) not lower than three, which are not hydrolysed by the endogenous enzymes in the small intestine of humans and the same consists of one or more of-

(A) Edible carbohydrate polymers naturally occurring in the food as consumed;

(B) Carbohydrate polymers, which have been obtained from food raw material by physical, enzymatic or chemical means;

(C) Synthetic carbohydrate polymers.

(v) 'nutrient' means a constituent of food, which:

(A) provides energy ; or

(B) has specific metabolic or physiological functions; or (C) is needed for growth and development and maintenance of healthy life;

(b) Nutritional Information per 100g or 100ml of the product and per serve percentage (%) contribution to RDA calculated on the basis of 2000 kcal energy, 67 g total fat, 22 g saturated fat, 2 g trans fat, 50 g added sugar and 2000 mg of sodium (5 g salt) requirement for average adult per day, shall be given on the label containing the following:—

(i) energy value (kcal);

(ii) the amounts of

(A) Protein (g);

(B) Carbohydrate (g) and Sugars (g), added sugar (g);

(C) Total fat (g), saturated fat (g), trans fat (g) and cholesterol (mg);

Provided that the content of saturated fat and trans fat may be declared on the label as "not more than".

(D) Sodium (mg);

(iii) Wherever, numerical information on vitamins and minerals is declared, it shall be expressed in metric units;

(iv) Nutrition information panel shall include the amount of food in gram (g) or millilitre (ml) for reference beside the serving measure and the number of servings in the package.

Explanation: "serving or serve size" means an amount of food customarily consumed per eating occasion or as defined on the label which is expressed in metric unit. Additionally, it may also be given in common household measures like tea spoon, table spoon, cup that is appropriate to the food.

(c) The nutritional information may not be necessary, in case of the following categories.

(i) Foods which are single ingredient products like sugar, jaggery, salt, spices, water;

(ii) Non-nutritive products like coffee, coffee chicory mixture, tea, condiments;

(iii) Packaged fresh produce like fresh fruits and vegetables, fresh seafood, eggs and fresh meat.

Provided that—

Every package of edible oils, interesterified vegetable fat, both hydrogenated or partially hydrogenated oils, edible fats, margarine and fat spreads (mixed fat spread and vegetable fat spread) and package of food in which fats, oils and fat emulsions is used as an ingredient shall declare the quantity of trans fat content and saturated fat content on the label. Provided that the content of saturated fat and trans fat may be declared on the label as "not more than".

Provided further that every package of edible oils, interesterified vegetable fat, both hydrogenated or partially hydrogenated oils, edible fats, margarine and fat spreads (mixed fat spread and vegetable fat spread) shall declare the quantity of monounsaturated fatty, polyunsaturated fatty acid, omega-3 fatty acid and omega-6 fatty acid content on the label.

However, nutritional information shall be required in the above-mentioned products if a nutrition or health claim is made on the label.

- (d) The compliance to quantity of declared nutrients on the label shall have the tolerance of maximum minus 10 percent of the value for that nutrient declared on the label at any point in time within declared shelf life of the product.

(e) **Calculation of Nutrients:**

- (i) Calculation of Energy: The amount of energy to be listed should be calculated by using the following conversion factors:

(A) Carbohydrates	4 kcal/g
(B) Polyols except Erythritol	2 kcal/g
(C) Erythritol	0kcal/g
(D) Protein	4 kcal/g
(E) Fat	9 kcal/g
(F) Alcohol (Ethanol)	7 kcal/g
(G) Organic acid	3 kcal/g

- (ii) Calculation of Protein - The amount of protein to be listed should be calculated using the formula:

Protein = Total Kjeldahl Nitrogen x 6.25 (Unless a different factor scientifically justified, may be used)

- (f) Nutritional information may additionally be provided in the form of Barcode/Global Trade Identification Number (GTIN).
 (g) Nutritional information and/or ingredients information along with health messages shall be displayed where food is served in a manner as may be required and specified by the Food Authority.

(4) Declaration regarding Veg or Non veg.-

- (a) Every package of food containing ingredients including food additives, processing aids of animal origin shall bear a declaration to this effect made by a symbol and colour code as stipulated below to indicate that the product is Non-Vegetarian Food. The symbol shall consist of a brown colour filled circle inside a square with brown outline having the diameter and sides not less than the minimum size specified in the Table mentioned in the regulation 4.2 (4) (c), as indicated below :



Brown colour

Provided where any article of food contains egg only as Non-Vegetarian ingredient, the manufacturer, or packer or seller may give declaration to this effect in addition to the said symbol.

- (b) Every package of food containing ingredients including food additives, processing aids of plant origin shall bear a declaration to this effect by a symbol and colour code as stipulated below for this purpose to indicate that the product is Vegetarian Food. The symbol shall consist of a green colour filled triangle inside a square with green outline having the sides not less than the minimum size specified in the Table mentioned in the regulation 4.2 (4) (c), as indicated below:




Green colour

- (c) Size of the Vegetarian/Non-vegetarian logo:

Sl. No.	Area of principal display panel in cm. square	Minimum size of diameters of circle in mm	Minimum size of each side of triangle in mm	Minimum size of each side of square in mm
1.	Upto 100	3	2.5	6
2.	Above 100 to 500	4	3.5	8

3.	Above 500 to 2500	6	5	12
4.	Above 2500	8	7	16

- (d) Every package of food material which is not meant for human consumption shall bear a declaration to this effect by a symbol as stipulated below. The symbol shall consist of a black colour cross inside a square with black outline having the sides of square not less than the minimum size specified in the Table mentioned in the regulation 4.2 (4) (c), as indicated below:



- (e) Declaration regarding Veg. or Non-Veg shall also be prominently displayed as provided in this regulation on the pamphlets, leaflets and advertisements in any media.
The symbol shall be prominently displayed on the package having contrast background on principal display panel, just close in proximity to the name or brand name of the product.
Provisions of regulations 4.2 (4)(a) and 4.2 (4) (b) shall not apply in respect of mineral water, packaged drinking water, carbonated water, alcoholic beverages, liquid milk, milk powders or honey.

(5) Declaration regarding Food Additives.-

Functional classes for food additives shall be declared together with the specific name(s) or recognized International Numbering System (INS) as specified in Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 in the list of the ingredients.

- (a) Every food to which a flavouring agent is added in accordance with the Regulation 3.3.1(1) of Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, it shall be declared in the list of ingredients provided that:
- In case of artificial flavoring substances the common name of the flavor shall be declared;
 - In case of natural flavoring substances or nature identical substances the class name of flavors shall be declared.

(6) Name and complete address.-

- (a) The name and complete address of the brand owner and the license number of manufacturer, packer or bottler as the case may be, if located at different places shall be declared on label. The address shall be preceded by the qualifying words like “Manufactured by” or “Mfg by” or “Mfd by” or “Packed by” or “Pkd by” or “Marketed by” or “Mkt by”.
- (b) Where an article of food is imported into India, the package of food shall also carry the name and complete address of the importer in India.

Provided further that where any food article manufactured outside India is packaged or bottled in India, the package containing such food article shall also bear on the label, the name of the country of origin of the food article and the name and complete address of the importer and the premises of packing or bottling in India.

(7) FSSAI logo and license number.-

- (a) The FSSAI logo and license number under the Act shall be displayed on the label of the food package in contrast color to the background as below:



Lic. No. XXXXXXXXXXXXX

- (b) In case of multiple units the FSSAI logo and license number of the brand owner shall be displayed, in addition the license number of the multiple unit(s) where product is ultimately prepared shall also be displayed.
- (c) In case of imported food products, the importer shall display FSSAI logo and license number along with name and address of importer.
- (d) Every food business operator shall display on all its premises, where food is stored, processed, distributed or sold, the Registration/Licence No. as the case may be along with other information as may be specified by the Food Authority from time to time.
- (e) Any/ all vehicles, transport equipment that carries food from one place to another shall display

Registration/Licence No. (as the case may be) along with other information as may be required and specified by the Authority from time to time.

- (f) Fortified food and organic food shall be marked with the logo as specified in schedule-III of these regulations. FSSAI may specify logo for any other food as decided from time to time.

(8) Net quantity, Retail Sale Price and Consumer Care details.-

Declaration of Net quantity, Retail Sale Price and Consumer Care details shall be as provided in Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Rules made there under.

(9) Lot/Code/Batch identification.-

A batch number or code number or lot number shall be declared on the label.

(10) Date Marking.-

- (a) "Date of manufacture or packaging" and "Expiry/Use by" shall be declared on the label. However, expression "Best before" may also be used as optional or additional information.
- (b) The manner of declaration of date of manufacture or packaging/Expiry/Use by/Best Before shall be as follows:
- (i) the day, month and year using the DD/MM/YY format for products with a short shelf life of up to 3 months; the month and the year for products with a shelf life of more than three months, shall be declared in un-coded numerical sequence except that the month shall be indicated by capital letters and abbreviations (at least first three letters of the month) may be used.
- (c) In addition to the expiry or Use by, any special conditions for the storage of the food shall be declared on the label if the validity of the date depends thereon. If required, storage conditions after opening the pack may also be specified.
- (d) Notwithstanding anything contained in this regulation, an indication of the "Expiry" shall not be required for:
- (i) Fresh fruits and vegetables, including potatoes which have not been peeled, cut or similarly treated;
- (ii) All types of wine;
- (iii) Alcoholic beverages containing 10% or more by volume of alcohol;
- (iv) Vinegar;
- (v) Hard boiled confectionery;
- (vi) Food grade salt for industrial use;
- (vii) Solid sugars;
- (viii) Chewing gum.
- (e) "Date of manufacture or packaging" and "Expiry /Use by" shall be grouped together and given at one place.
- (f) "Date and time of manufacture" shall be declared on packed meals served in airlines/railways/mobile catering units.

(11) Country of Origin for Imported Foods-

- (a) The country of origin of the food shall be declared on the label of food imported into India.
- (b) When a food undergoes processing in a second country which changes its nature, the country in which the processing is performed shall be considered to be the county of origin for the purposes of labelling.

(12) Instructions for use.-

- (a) Instructions for use, including reconstitution, where applicable, shall be included on the label, to ensure proper utilization of the food or where such food requires directions for reasons for health and safety (eg. 'Refrigerate after opening').

5. Principal display panel.- (1) The information required under these regulations shall be given on the principal display panel of the package or container and such information may be given in following manner, -

- (a) All information should be grouped together and given at one place.

OR

The pre-printed information be grouped together and given in one place and,

- (b) Online information or those not pre-printed be grouped together in another place."

- (2) Area of Principal Display Panel-The area of principal display panel shall not be less than:
- In the case of a rectangular package, forty percent of the product of height and width of the panel of such package having the largest area;
 - In case of cylindrical or nearly cylindrical, round or nearly round, oval or nearly oval package, forty percent of the product of the height and average circumference of such package; or
 - In the case of package of any other shape, twenty percent of the total surface area of the package;
 - In the case of package having a capacity of ten cubic centimeters or less, the principal display panel may be card or tape affixed firmly to the package and bearing the required information under these regulations.
- (3) The height of any numeral and letter required under these regulations, on the principal display panel shall be as shown in tables below:


TABLE I

Sl. No.	Area of Principal Display Panel	Minimum Height of numeral and letter in mm	
		Normal Case	When Blown, formed Moulded, or perforated on container
1.	Upto 100 cm ²	1	2
2.	Above 100 cm ² upto 500 cm ²	2	4
3.	Above 500 cm ² upto 2500 cm ²	4	6
4.	Above 2500 cm ²	6	8

Provided further that the size of numeral and/or letters required for declaration of net weight, retail sale price, date of expiry or best before or the use by date (wherever and as applicable) and Consumer care details on the principal display panel shall be as provided in Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made there under.

Provided that the width of the letter or numeral shall not be less than one-third of its height, but this proviso shall not apply in the case of numeral "1" and letters i, I and l.

- (4) The following information shall be declared on the front of pack:
- The name of food;
 - Declaration regarding veg or non-veg;
 - Per serve contribution of energy, saturated fat, trans fat, added sugar and sodium to RDA as per format indicated below:




Note: Calculated based on reference daily energy intake value of 2000 kcal;

*: Excessive intake of these ingredients through any food can be harmful to health.

Part 1: Declares the amount of energy, saturated fat, trans fat, added sugar and sodium per serve;

Part 2: Declares the per serve percentage (%) contribution to RDA as provided under regulation 4.2 (3) (b);

- (d) The block(s) of nutrient(s) for "High Fat, Sugar and Salt" (HFSS) food shall be coloured 'RED' as depicted below, in case the value of energy (kcal) from added sugar is more than 10 per cent of the total energy (kcal) provided by the 100 g/100 ml of the product; the value of energy (kcal) from trans-fat is more than 1 per cent of the total energy (kcal) provided by the 100 g/100 ml of the product; and saturated fat or sodium content provided by the 100 g/100 ml of the product is more than the threshold values as specified in schedule – I.



Note: Calculated based on reference daily energy intake value of 2000 kcal;

Note I: The text in the particular coloured block to be displayed with a contrast colour.

Provided that for 'RED' coding of the blocks of nutrient (s) for "High Fat, Sugar and Salt" (HFSS) food, the permissible allowances to threshold values shall be as under:

Timeline	Allowance
From the date of compliance of these regulations i.e. for 1 st year	As depicted under regulation 5 (4) (c)
After one year from the date of compliance of these regulations	Threshold values* plus 30% of the threshold values*
After two year from the date of compliance of these regulations	Threshold values* plus 15% of the threshold values*
After three year from the date of compliance of these regulations	Threshold values*

* As specified in clause (d) of sub-regulation 4 of regulation 5 for added sugar and trans-fat and schedule –I of these regulations for sodium and saturated fat.

However, the specified threshold values and timeline for their implementation may also be revised by Food Authority based on any scientific

Provided that the categories/products specified under schedule – II are exempted from colour coding.

Provided that any beverage provides energy less than 80 Kcal/ per serve is exempted from colour coding.

Provided further that 'no depiction' of block for the above said Nutrient/Nutrients is required, if the nutrient is absent in the product.

(5) For the HFSS labelling of "Proprietary products" the threshold values of nearby category shall apply.

(6) Food Authority may introduce colour coding system in addition to marking of foods as 'Red' within the specified thresholds from time to time.

(7) In premises where the food with red mark is served, message on healthy eating shall be displayed/screened in a manner as may be specified by the Food Authority from time to time.

(8) The Food Authority may from time to time issue further guidelines on nutrient profiling of food products.

(9) HFSS food products shall not be advertised to children in any form.

6. Mandatory Declarations.-

(1) Wherever, packaged food contains ingredients and/or additives as stated in schedule-IV of these regulations, the same shall be prominently displayed on the label. The size of numerals and letters for the declarations/specific requirements specified in schedule-IV shall not be less than 3mm based on the letter l.

(2) The Food Authority may either modify, delete or add any of the ingredients and/or additives and corresponding declaration from time to time.

7. Exemptions from certain labelling requirements-

(1) Where the surface area of the package is not more than 100 square centimetres, the label of such package shall be exempted from the requirements of list of ingredients, Lot Number or Batch Number or Code Number, nutritional information, labelling of irradiated food, declaration of food additives, the name and complete address of the importer and instructions for use, but these information shall be given on the multi-unit packages.

- (2) In case of liquid products marketed in bottles, if such bottle is intended to be reused for refilling, the requirement of list of ingredients shall be exempted, but the nutritional information specified in regulation 4.2(3) shall be given on the label.
- (3) In case of food with shelf-life of not more than seven days, the 'date of manufacture' may not be required to be mentioned on the label of packaged food articles, but the 'Expiry/use by' shall be mentioned on the label by the manufacturer or packer.
- (4) In case of prepared food served for immediate consumption such as in hotels or by food service vendors or caterers or halwais or hospitals or at religious gathering or food served in airline/railways/passenger vehicle or any mobile unit shall accompany or display the minimum information as specified below at the point of sale/serve of the food.
- (a) Specific declarations prescribed under sub-regulations 1.1 (1), (2), (3), 1.4 (3), (4) and 1.9 of schedule IV of these regulations ;
 - (b) information relating to allergen; and
 - (c) logo for veg or non-veg.
- Provided that in case of food served through vending machine the labelling requirement as prescribed in regulation 4.2(3) of these regulations shall be displayed in addition to the requirements mentioned in 7(4) above, through appropriate presentation on the outside of vending machine or through poster, leaflet or on the container.
- (5) The following labelling requirements are exempted if they are provided in a Barcode/Global Trade Identification Number (GTIN):-
- a) Address of the Brand owner and multiple units where manufacturing, bottling or packing is taking place.
 - b) License numbers of the multiple units where manufacturing, bottling or packing is taking place.
- (6) In case of imported packaged food consignments, the following special dispensation on labelling shall be allowed for the rectifiable labelling deficiencies at the custom bound warehouse by affixing a single non detachable sticker or by any other non detachable method next to the principle display panel without altering or masking the original label information in any manner namely: —
- (a) name and address of the importer;
 - (b) Food Safety and Standards Authority of India's Logo and license number,
 - (c) Non-Veg or Veg Logo
 - (d) Category or sub category along with generic name, nature and composition for Proprietary food.
 - (e) Statutory warning on the packages of alcoholic beverages as prescribed in item 2.7 of schedule-IV of these regulations.
- In respect of the rectifiable labelling deficiencies referred to in sub – regulation (6) above, the Authorised Officer may pass an order directing the Food Importer or his authorised agent to carry out the permissible labelling rectifications, within a specified time.
- (7) In case of primary food like food grain, pulse, fruits and vegetables, whole spices imported in loose in bulk shall carry:-
- (a) name of food
 - (b) name and complete address of importer
- However, it may also be verified from the relevant documents.

8. Display of information in food service establishments

- (1) Food Service Establishments having Central license or outlets at 10 or more locations shall mention the calorific value against the food items displayed on the menu cards or boards. Additionally, reference information on calorie requirements shall also be displayed clearly and prominently as **“An average adult requires 2,000 kcal energy per day, however, calorie needs may vary”**.

Flexibility in the wordings of the above statement is acceptable, provided that the meaning of the statement is not altered.

- (2) Food Service Establishments shall also mention the information specified below against the food items displayed on the menu cards or boards:

- a) information relating to allergens, if food consists of or are made of the following:
 - (i) Cereals containing gluten; i.e., wheat, rye, barley, oats, spelt or their hybridized strains and products of these;
 - (ii) Crustacean and their products;
 - (iii) Milk & Milk products;
 - (iv) Eggs and egg products;
 - (v) Fish and fish products;
 - (vi) Peanuts, tree nuts and their products;
 - (vii) Soybeans and their products;
 - (viii) Sulphite in concentrations of 10mg/kg or more

Provided that the allergens may be depicted by easy to understand symbols.

- b) logo for veg or non-veg;
- (3) These provisions shall not be applicable to the following:
- Event caterers and Food Service premises that operate for less than 60 days in a calendar year (consecutively or non-consecutively).
 - Self-serve condiments that are free of charge and not listed on the menu.
 - Special-order items or modified meals and menu items as per customer's request.
- (4) Food Service Establishments shall also provide nutritional information as prescribed under sub-regulation 4.2(3), specific requirements prescribed under sub-regulations 1.1 (1), (2), (3), 1.4 (3), (4) and 1.9 of schedule-IV of these regulations, if applicable and information relating to organic food or ingredients, if claimed, for the food items sold by them to consumers upon request in the form of booklets or handouts or on their website.

Provided that deviation of 25 percent may be tolerated in case of nutritional information declaration.

(5) E-commerce Food Business Operators shall get the above mentioned information from respective FBO and provide on their website wherever applicable.

(6) The Authority may specify other food service establishments also to comply with the requirements specified in these regulations from time to time.

CHAPTER 3

9. Labelling Requirements of non-retail container

- (1) Every packaged food meant for non-retail sale shall provide the following mandatory information either on the container or on the label attached thereto:
- Name of the food;
 - Net Quantity;
 - FSSAI Logo and License number;
 - Date marking;
 - Lot No.
- (2) The following information if not provided on the label shall be provided in the accompanying documents:
- List of ingredient along with their source as Veg or Non-Veg
 - Nutritional information
 - List of food additives
 - Name and address of the manufacturer or packer (including country of origin for imported packages)
- (3) Every package meant for non- retail sale shall bear a statement "NOT FOR RETAIL SALE".

CHAPTER 4

LABELLING OF FOOD ADDITIVES WHEN SOLD AS SUCH

10. Labelling of packaged Food Additives for Retail Sale

- (1) Every package of a food additive meant for retail sale to the consumer shall be labelled in accordance with the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2019 except for sub-regulation 4.2(1) and 4.2(3) of this regulation.
- (2) Additionally the label of every package of food additive shall provide the following information under these regulations:
- Name of Food Additive.- The specific name as mentioned in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and amendments thereof shall be used.
Provided that:
 - Where such a name is not listed in the aforementioned clause the name established in international regulations shall be used or
 - In other cases the common or commercial name shall be used

- (iii) In the case of synthetic food colours the chemical name and the colour index of the dye stuff.
- (iv) If two or more food additives are present in the package, their names shall be listed in the descending order of their composition by weight or volume. Where one or more of the food additives is subject to a quantitative limitation in a food covered by Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011, and amendments thereof, the quantity or proportion of that additive shall be stated. If food ingredients are part of the preparation, they shall be declared in the list of ingredients in descending order of proportion by weight.

(b) Other Mandatory Declarations:

- (i) Every package of a food additive sold in retail or non-retail sale shall be marked prominently with the words “FOR FOOD USE”.
- (ii) In the case of mixtures of flavourings, the name of each flavouring present in the mixture need not be given but a common or generic expression “flavour” or “flavouring” may be used, together with a true indication of the nature of the flavour.

The expression “flavour” or “flavouring” shall be qualified by the words “natural”, nature-identical”, “artificial”, or a combination of these words, as appropriate. Provided that this qualifier does not apply to flavour modifiers.

11. Labelling of Pre-packaged Food Additives Sold other than by Retail

Every package of a food additive meant for sale other than by Retail shall carry label in accordance to chapter 3 and regulation 9 of these regulations.

12. The provision of these regulations shall supersede, if repugnant to labelling requirement prescribed in any regulations made under the FSS Act, 2006.

Schedule – I

(See regulation 5 (4) (d))

Nutrient Thresholds for Food Categories

Category No.	Category	Sub-Categories included	Saturated fat (g / 100 g or 100 ml)	Sodium (g/ 100 g or 100 ml)
1.0	Dairy products and analogues, excluding products of food category 2.0			
1.1	Milk and dairy-based drinks	1.1.2: Dairy-based drinks - flavoured milk and/or fermented	2.3	No threshold
1.6	Cheese and analogues	1.6.1: Unripened cheese 1.6.2 Ripened cheese 1.6.2.1 Ripened cheese, includes rind 1.6.2.2 Rind of ripened cheese 1.6.2.3 Cheese powder 1.6.3 Whey cheese 1.6.4 Processed cheese 1.6.4.1 Plain processed cheese 1.6.4.2 Flavoured processed cheese, including containing fruit, vegetables, meat etc. 1.6.5 Cheese analogues 1.6.6 Whey protein cheese	6.6	0.60
1.7	Dairy-based desserts		2.6	0.10
2.0	Fats and oils, and fat emulsions			
2.2	Fat emulsions mainly or type water-in-oil	2.2.1 Butter 2.2.2 Fat spreads, dairy fat spreads and blended spreads	No threshold	0.10
2.4	Fat-based desserts excluding dairy-based dessert products of food category 1.7	2.4.1: Cocoa based spreads, including fillings	2.6	No threshold
3.0	Edible ices, including sherbet and sorbet		2.6	0.10

Category No.	Category	Sub-Categories included	Saturated fat (g / 100 g or 100 ml)	Sodium (g/ 100 g or 100 ml)
4.0	Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds			
4.1	Fruit	4.1.2 Processed fruit 4.1.2.2 Dried fruit, nuts and seeds 4.1.2.3 Fruit in vinegar, oil, or brine 4.1.2.4 Canned or bottled (pasteurized) fruit 4.1.2.5 Jams, jellies, marmalades, fruit bar/toffee and fruit cheese 4.1.2.6 Fruit-based spreads (e.g. chutney) excluding products of food category 4.1.2.7 Candied fruit 4.1.2.8 Fruit preparations, including pulp, purees, fruit toppings and coconut milk 4.1.2.9 Fruit-based desserts, including fruit-flavoured water-based desserts 4.1.2.10 Fermented fruit products 4.1.2.11 Fruit fillings for pastries 4.1.2.12 Cooked fruit	No threshold	0.40
4.2	Vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds	4.2.2 Processed vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds 4.2.2.2 Dried vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds 4.2.2.3 Vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds in vinegar, oil, brine, or soybean sauce 4.2.2.4 Canned or bottled (pasteurized) or retort pouch vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds 4.2.2.5 Vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweed, and nut and seed purees and spreads (e.g. peanut butter) 4.2.2.6 Vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweed, and nut and seed pulps and preparations (e.g. vegetable desserts and sauces, candied vegetables) other than food category 4.2.2.7 Fermented vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera) and seaweed products, excluding fermented soybean products of food categories 6.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 and 12.9.2.3 4.2.2.8 Cooked or fried vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds	No threshold	0.40
5.0	Confectionery			
5.1	Cocoa products and chocolate products including imitations and chocolate	5.1.3 Cocoa and chocolate products 5.1.4: Imitation chocolate, chocolate substitute products	2.6	No threshold

Category No.	Category	Sub-Categories included	Saturated fat (g / 100 g or 100 ml)	Sodium (g/ 100 g or 100 ml)
	substitutes			
5.2	Confectionery including hard and soft candy, nougats etc. other than food categories 5.1, 5.3, and 5.4	5.2.1 Hard candy 5.2.2 Soft candy 5.2.3 Nougats and marzipans		
5.3	Chewing gum			
5.4	Decorations (e.g. For fine bakery wares), toppings (non-fruits), and sweet sauces			
6.0	Cereals and cereal products, derived from cereal grains, from roots and tubers, pulses, legumes and pith or soft core of palm tree, excluding bakery wares of food category 7.0			
6.3	Ready -to -eat cereals, breakfast cereals, including rolled oats		4.0	0.35
6.4	Pastas and noodles and like products (e.g. Rice paper, rice vermicelli, soybean pastas and noodles)	6.4.1 Fresh pastas and noodles and like products 6.4.2 Dried pastas and noodles and like products 6.4.3 Pre-cooked pastas and noodles and like products	1.0	0.25
6.5	Cereals/pulses and starch based desserts		2.6	No threshold
6.7	Pre-cooked or processed cereals/grains/legume products		4.0	0.35
6.8	Soybean products (excluding soybean-based seasonings and condiments of food category 12.9)	6.8.1 Soybean-based beverages	No threshold	0.20
		6.8.2 Soybean-based beverage film 6.8.3 Soybean curd (tofu) 6.8.4 Semi-dehydrated soybean curd 6.8.4.1 Thick gravy-stewed semi-dehydrated soybean curd; 6.8.4.2 Deep fried semi-dehydrated soybean curd; 6.8.4.3 Semi-dehydrated soybean curd, other than food categories 6.8.4.1 and 6.8.4.2 6.8.5 Dehydrated soybean curd 6.8.6 Fermented soybeans 6.8.7 Fermented soybean curd 6.8.8 Other soybean protein products	4.0	0.10
7.0	Bakery wares			
7.1	Bread and ordinary bakery wares and mixes	7.1.1 Breads and rolls 7.1.1.1 Yeast-leavened breads and specialty breads 7.1.1.2 Soda breads 7.1.2 Crackers 7.1.3 Other ordinary bakery products 7.1.4 Bread-type products, including bread stuffing and bread crumbs 7.1.5 Steamed breads and buns 7.1.6 Mixes for bread and ordinary bakery wares	2.6	0.25
7.2	Fine bakery wares (sweet, salty,	7.2.1 Cakes, cookies and pies 7.2.2 Other fine bakery products	2.6	0.25

Category No.	Category	Sub-Categories included	Saturated fat (g / 100 g or 100 ml)	Sodium (g/ 100 g or 100 ml)
	savoury) and mixes	7.2.3 Mixes for fine bakery wares		
8.0	Meat and meat products including poultry			
8.2	Processed meat and poultry products in whole pieces or cuts	8.2.1 Non-heat treated processed meat and poultry products in whole pieces or cuts 8.2.1.1 Cured (including salted) non-heat treated processed meat and poultry products in whole pieces or cuts 8.2.1.2 Cured (including salted) and dried non-heat treated processed meat and poultry products in whole pieces or cuts 8.2.1.3 Fermented non-heat treated processed meat and poultry products in whole pieces or cuts 8.2.2 Heat-treated processed meat and poultry products in whole pieces or cuts 8.2.3 Frozen processed meat and poultry products in whole pieces or cuts	2.6	0.40
			5.0	No threshold
8.3	Processed comminuted meat and poultry products	8.3.1 Non-heat treated processed comminuted meat and poultry products 8.3.1.1 Cured (including salted) non-heat treated processed comminuted meat and poultry products 8.3.1.2 Cured (including salted) and dried non-heat treated processed comminuted meat and poultry products 8.3.1.3 Fermented non-heat treated processed comminuted meat and poultry products 8.3.2 Heat-treated processed comminuted meat and poultry products (canned cooked ham, canned luncheon meat, canned chopped meat)	2.6	0.40
9.0	Fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms			
9.2	Processed fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	9.2.1 Frozen fish, fish fillets, and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms (frozen shrimps or prawns, frozen lobsters, frozen squid, frozen fin fish and frozen fish fillets) 9.2.2 Frozen battered fish, fish fillets and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms 9.2.3 Frozen minced and creamed fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms 9.2.4 Cooked and/or fried fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms 9.2.4.1 Cooked fish and fish products 9.2.4.2 Cooked molluscs, crustaceans, and echinoderms 9.2.4.3 Fried fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and Echinoderms 9.2.5 Smoked, dried, fermented, and/or salted fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	5.0	No threshold
			2.6	0.40
			5.0	No threshold
			2.6	0.40
9.3	Semi-preserved fish and fish products, including molluscs,	9.3.1 Fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms, marinated and/or in jelly	2.6	0.40

Category No.	Category	Sub-Categories included	Saturated fat (g / 100 g or 100 ml)	Sodium (g/ 100 g or 100 ml)
	crustaceans, and echinoderms	9.3.2 Fish and fish products, including molluscs, crustaceans and echinoderms, pickled and/or in brine 9.3.3 Salmon substitutes, caviar and other fish roe products 9.3.4 Semi-preserved fish and fish products, including molluscs, crustaceans and echinoderms (e.g. fish paste), excluding products of food categories 9.3.1 - 9.3.3		
9.4	Fully preserved, including canned or fermented fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms		2.6	0.40
12.0	Salts, spices, soups, sauces, salads and protein products			
12.5	Soups and broths	12.5.1 Ready-to-eat soups and broths, including canned, bottled, and frozen 12.5.2 Mixes for soups and broths	2.6	0.35
12.6	Sauces and like products	12.6.1 Emulsified sauces and dips 12.6.2 Non-emulsified sauces 12.6.3 Mixes for sauces and gravies 12.6.4 Clear sauces	4.0	0.30
12.9	Soybean based seasonings and condiments	12.9.1 Fermented soybean paste	4.0	0.10
		12.9.2 Soybean sauce	4.0	0.30
		12.9.2.1 Fermented soybean sauce		
		12.9.2.2 Non-fermented soybean sauce 12.9.2.3 Other soybean sauces		
14.0	Beverages, excluding dairy products			
14.1	Non – alcoholic (soft) beverages	14.1.2 Fruit and vegetable juices 14.1.2.1 Fruit juices 14.1.2.2 Vegetable juices 14.1.2.3 Concentrates of fruit juices 14.1.2.4 Concentrates of vegetable juices	No threshold	No threshold
		14.1.3 Fruit and vegetable nectars 14.1.3.1 Fruit nectar 14.1.3.2 Vegetable nectar 14.1.3.3 Concentrates of fruit nectar 14.1.3.4 Concentrates of vegetable nectar	No threshold	No threshold
		14.1.4 Water-based flavoured drinks, including “sport”, “energy” or “electrolyte” drinks and particulated drinks, includes carbonated fruit beverages, carbonated beverages with fruit 14.1.4.1 Carbonated water-based flavoured drinks; 14.1.4.2 Non-carbonated water-based flavoured drinks, including punches and ades 14.1.4.3 Concentrates (liquid or solid) for water-based flavoured drinks	No threshold	0.30
		14.1.5 Coffee, coffee substitutes, tea, herbal infusions	No threshold	No threshold
		14.1.5 Other hot cereal and grain beverages, excluding cocoa	No threshold	0.20
15.0	Ready-to-eat savouries			
15.1	Snacks and savouries		2.6	0.25

Category No.	Category	Sub-Categories included	Saturated fat (g / 100 g or 100 ml)	Sodium (g/ 100 g or 100 ml)
	- potato, cereal, flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)			
15.2	Processed nuts including coated nuts and nut mixtures		No threshold	0.05
15.3	Snacks - fish based		No threshold	0.25
16.0	Prepared Foods		2.6	0.35

Schedule – II

(See regulation 5(4) (d))

Exempted Food categories

Category No.	Category
1.1.1	Milk and buttermilk (plain)
1.1.1.1	Milk (plain)
1.1.1.2	Buttermilk (plain)
1.2	Fermented and renneted milk products (plain), excluding food category
1.2.1	Fermented milks (plain)
1.2.1.1	Fermented milks (plain), not heat-treated after fermentation
1.2.1.2	Fermented milks (plain), heat-treated after fermentation
1.2.2	Renneted milk (plain)
1.3	Condensed milk and analogues (plain)
1.3.1	Condensed milk (plain), evaporated milk(s), sweetened condensed
1.3.2	Beverage whiteners
1.4	Cream (plain) and the like cream and malai
1.4.1	Pasteurized cream (plain), cream and malai
1.4.2	Sterilized and UHT creams, whipping and whipped creams, and reduced fat creams (plain)
1.4.3	Clotted cream (plain)
1.4.4	Cream analogues
1.5	Milk powder and cream powder and powder analogues (plain)
1.5.1	Milk powder and cream powder (plain)
1.5.2	Milk and cream powder analogues
1.8	Whey and whey products, excluding whey cheeses
1.8.1	Liquid whey and whey products, excluding whey cheeses
1.8.2	Dried whey and whey products, excluding whey cheeses whey powder
2.1	Fats and oils essentially free from water
2.1.1	Butter oil, anhydrous milk fat, ghee
2.1.2	Vegetable oils and fats
2.1.3	Lard, tallow, fish oil, and other animal fats
2.3	Fat emulsions mainly of type oil-in-water, including mixed and/or flavoured products based on fat emulsions
4.1.1	Fresh fruit
4.1.1.1	Untreated fresh fruit
4.1.1.2	Surface treated fresh fruit
4.1.1.3	Peeled or cut fresh fruit
4.1.2.1	Frozen fruit
4.2.1	Fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds
4.2.1.1	Untreated fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes including soybeans, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds;

Category No.	Category
4.2.1.2	Surface-treated fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds;
4.2.1.3	Peeled, cut or shredded fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds
4.2.2.1	Frozen vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds
5.1.1	Cocoa mixes (powders) and cocoa mass/cake
5.1.2	Cocoa mixes (syrups)
6.1	Whole, broken, or flaked grain, including rice
6.2	Flours and starches (including soybean powder)
6.2.1	Flours
6.2.2	Starches
6.6	Batters
8.1	Fresh meat and poultry
8.1.1	Fresh meat and poultry whole pieces or cuts
8.1.2	Fresh meat and poultry comminuted.
8.3.3	Frozen processed comminuted meat and poultry products
8.4	Edible casings (e.g. Sausage casings)
9.1	Fresh fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms
9.1.1	Fresh fish
9.1.2	Fresh molluscs, crustaceans, and echinoderms
10.0	Eggs and egg products
10.1	Fresh eggs
10.2	Egg products
10.2.1	Liquid egg products
10.2.2	Frozen egg products
10.2.3	Dried and/or heat coagulated egg products
10.3	Preserved eggs, including alkaline, salted, and canned eggs
10.4	Egg-based desserts
11.0	Sweeteners, including honey
11.1	Refined and raw sugars
11.1.1	White sugar, dextrose anhydrous, dextrose monohydrate, fructose
11.1.2	Powdered sugar, powdered dextrose
11.1.3	Soft white sugar, soft brown sugar, glucose syrup, dried glucose syrup, raw cane sugar, khandsari sugar (sulphur sugar), bura sugar
11.1.3.1	Dried glucose syrup used to manufacture sugar confectionery
11.1.3.2	Glucose syrup for manufacture of sugar confectionery (golden syrup)
11.1.4	Lactose
11.1.5	Plantation or mill white sugar (plantation white sugar, cube sugar, misri)
11.2	Brown sugar excluding products of food category 11.1.3
11.3	Sugar solutions and syrups, also (partially) inverted, including treacle and molasses, excluding products of food category 11.1.3
11.4	Other sugars and syrups
11.5	Honey
11.6	Table-top sweeteners including those containing high intensity sweeteners (saccharin sodium, aspartame, acesulfame potassium, sucralose)
12.1	Salt and salt substitutes
12.1.1	Salt (including edible common salt, iron fortified salt, iodized salt)
12.1.2	Salt substitutes
12.2	Herbs, spices, seasonings and condiments (e.g. seasoning for instant noodles)
12.2.1	Herbs, spices including masalas
12.2.2	Seasonings and condiments
12.3	Vinegars
12.4	Mustards
12.7	Salads and sandwich spreads excluding cocoa-and nut based spreads of food categories 4.2.2.5 and 5.1.3
12.8	Yeast and like products

Category No.	Category
12.10	Protein products other than from soybeans
13.0	Foodstuffs intended for particular nutritional uses
13.1	Infant formulae, follow-on formulae, and formulae for special medical purposes for infants
13.1.1	Infant formulae
13.1.2	Follow-up formulae
13.1.3	Formulae for special medical purposes for infants
13.2	Complementary foods for infants and young children
13.3	Dietetic foods intended for special medical purposes (excluding products of food category 13.1)
13.4	Dietetic formulae for slimming purposes and weight reduction
13.5	Dietetic foods (e.g. supplementary foods for dietary use) excluding products of food categories 13.1- 13.4 and 13.6
13.6	Food supplements
14.1.1	Waters
14.1.1.1	Natural mineral waters and source waters
14.1.1.2	Table waters and soda waters
14.2	Alcoholic beverages, including alcohol-free and low-alcoholic counterparts
14.2.1	Beer and malt beverages
14.2.2	Cider and Perry
14.2.3	Grape wines
14.2.3.1	Still grape wine
14.2.3.2	Sparkling and semi-sparkling grape wines
14.2.3.3	Fortified grape wine, grape liquor wine, and sweet grape wine
14.2.4	Wines (other than grape)
14.2.5	Mead
14.2.6	Distilled spirituous beverages containing more than 15% alcohol
14.2.7	Aromatized alcoholic beverages

Schedule-III

(See regulation 4.2 (7) (f))

(1) Every package of fortified food shall carry the words “fortified with (name of the fortificant)” and the logo, as specified below, on the label. It may also carry a tag line “Sampoorna Poshan Swasth Jeevan” under the logo.




**Fortified with....
SAMPOORNA POSHAN
SWASTHA JEEVAN**



.... से फोर्टिफाइड

सम्पूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन



All dimensions in millimeters

A	B	C	D	a	E (w x h)	F (w x h)	G (w x h)
20	20	2.2	3.1	0.8	7.27 x 9.51	5.67 x 5.84	16.98 x 10.93
40	40	4.4	6.3	1.7	14.54 x 19.03	11.35 x 11.68	33.96 x 21.87
80	80	8.9	12.5	3.4	29.08 x 38.07	22.7 x 23.36	67.92 x 43.75
160	160	17.9	25.4	6.9	58.17 x 76.14	45.39 x 46.72	135.85 x 87.5
320	320	35.6	50.6	13.8	116.35 x 152.29	90.77 x 93.44	275.25 x 175.01

	<p>COLOR CODES PANTONE 3005 C C-100, M-46, Y-2, K-0 R-0, G 116, B-200 Web- 0074C8</p>		<p>COLOR CODES PANTONE BLACK C-0, M-0, Y-0, K-100 R-35, G-31, B-32 Web- #231F20</p>
--	--	--	--

(2) Every package of organic food shall carry the logo as specified below:



Schedule- IV
(See regulations 6 (1), 7(4) (a), 7(6)(e) and 8(4))

1. Mandatory Declarations:

(1) Every package of food containing the following ingredients/additives shall bear the following declarations on the label in a rectangular box, namely,-

Sl. No.	Ingredients/additives	Declarations
1.	10% or more polyols	POLYOLS MAY HAVE LAXATIVE EFFECT
2.	10% or more polydextrose	POLYDEXTROSE MAY HAVE LAXATIVE EFFECT
3.	Added caffeine	CONTAINS ADDED CAFFEINE Provided if caffeine is added in the products, the

		quantity of the added caffeine (in ppm) shall also be declared in the list of ingredients.
4.	Isomaltulose	Contains Isomaltulose----- (calories)

(2) Every package containing the following articles of food shall bear the following declarations on the label in a rectangular box, namely, -

SI. No.	Articles of food	Declarations
1.	Maida treated with improver or bleaching agents	WHEAT FLOUR TREATED WITH IMPROVER/BLEACHING AGENTS, TO BE USED BY BAKERIES ONLY
2.	Dried Glucose Syrup containing sulphur dioxide exceeding 40 ppm	DRIED GLUCOSE SYRUP FOR USE IN SUGAR CONFECTIONERY ONLY
3.	Fruit squash by whatever name it is sold, containing additional sodium or potassium salt	CONTAINS ADDITIONAL SODIUM/POTASSIUM SALT
4.	Bakery and Industrial Margarine made from more than 30 per cent of Rice Bran Oil	This package of Bakery & Industrial Margarine is made from more than 30 per cent of Rice Bran Oil by Wt.
5.	Flavour emulsion and flavour paste meant for use in carbonated or non-carbonated beverages	FLAVOUR EMULSION AND FLAVOUR PASTE FOR USE IN CARBONATED OR NON-CARBONATED BEVERAGES ONLY
6.	Cheese(s), if coated/packed in food grade waxes	COATED WAX TO BE REMOVED BEFORE CONSUMPTION
7.	Frozen Desert/Frozen Confection	Frozen Desserts/Frozen Confection is made with _____ Edible Vegetable Oil*/and Vegetable Fat*
8.	Common Salt	COMMON SALT FOR IODISATION*/ IRON FORTIFICATION*/ANIMAL USE*/ MEDICINE*/INDUSTRIAL USE*
9.	Fresh fruit if coated with wax	Coated with wax (give name of wax)
10.	Gelatin meant for human consumption	Gelatin Food Grade

* Strike out whatever is not applicable.

(3) Every package containing the following articles of food and advertisement relating thereto shall carry the warning and/or declaration, in a rectangular box, namely, -

SI. No.	Articles of food	Declarations
1.	Pan Masala	CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH
2.	Supari	CHEWING OF SUPARI IS INJURIOUS TO HEALTH
3.	Aspartame (Methyl ester), Acesulfame Potassium, Sucralose and Saccharin Sodium, Neotame marketed as "Table Top Sweetener"	(i) Contains..... (name of artificial sweetener) (ii) Not recommended for children
4.	Aspartame (Methyl ester), marketed as "Table Top Sweetener"	"Not for Phenylketonurics"

(4) Every package of food containing the following ingredients/additives and advertisement relating thereto shall carry the following warning and declaration, in a rectangular box, namely,-

SI. No.	Ingredients/additives	Declarations
1.	Artificial/non-nutritive sweeteners mentioned in Food Safety and standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011	(i) This contains.....(Name of the artificial/non-nutritive sweeteners). (ii) Not recommended for children. (iii) *Not for Phenylketonurics (if Aspartame is added)
2.	Mixture of Aspartame (Methyl Ester) and Acesulfame Potassium Sweeteners mentioned in Food Safety and standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011	(i) This....(name of food) contains..... and admixture of Aspartame (Methyl Ester and Acesulfame Potassium).

		(ii) Not recommended for children. (iii) *Not for Phenylketonurics (if Aspartame is added)
3.	Every package of food which is permitted to contain artificial sweetener mentioned in Food Safety and Standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011	CONTAINS ARTIFICIAL SWEETENER AND FOR CALORIE CONCIIOUS
4.	Monosodium Glutamate	This package of (name of the food contains added)..... MONOSODIUM GLUTAMATE NOT RECOMMENDED FOR INFANTS BELOW -12 MONTHS AND PREGNANT WOMEN

* Strike out whatever is not applicable.

(5) One time usable plastic bottles of packaged drinking water and mineral water shall carry the following declaration.

CRUSH THE BOTTLE AFTER USE

(6) Every package of fat spread, milk products, milk based fruit drink, fermented milk products, soy and rice drink, cheese products, yoghurt products, spice sauces, salad dressings, juices and nectars containing plant stanol esters shall bear the following label, namely: —

- Contains Plant Stanol Esters (as Plant Stanols)---gm/100 gm or 100ml.
- Patients on cholesterol lowering medication should use the product under medical supervision.
- May not be nutritionally appropriate for pregnant and lactating women and children under the age of five years.
- CONSUMPTION OF MORE THAN 3g. PER DAY, TOTAL OF STEROL, STANOLS OR COMBINATION THEREFOF SHALL BE AVOIDED.

(7) Every package of biscuits, bread, cakes, breakfast cereals, carbonated water, thermally processed fruits, fruit juices, fruit nectars, fruit beverages, fruit squashes, jam, jelly, fruit cheese, marmalade, dairy based drinks, milk powder, carbohydrate- based and milk product based sweets like gulabjamun, rosogolla, peda, khoya burfi, macroni products, noodles, pasta, sweets and confectionery, candies and icings, savories and snacks wherever the trehalose is added shall bear the following label, namely:—

Contains Trehalose

(8) Every package of flakes and ready to eat dry breakfast cereals, noodles, pasta, salad dressings or toppings and spreads; table top fibre as filler or carrier, cereals and other snack food or savouries and bakery products including biscuits, cookies, bread, cake mix and pastries and other products where dextrin is allowed under Food Safety and standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011, containing added Dietary Fibre (Dextrin-soluble fibre), shall bear the following declarations, namely:-


Contains Dietary Fibre (Dextrin) ----- (Source of soluble Dietary Fibre)

(9) Fat spread, milk products, milk based fruit drink, fermented milk products, soy and rice drinks, cheese products, yoghurt products, spice sauces, salad dressings, juices and nectars, edible oils, and bakery products containing plant sterol shall contain the following declarations, namely: -

- Contains Plant Sterol (as Phytosterols) ---g/100g or 100ml.
- Patients on cholesterol lowering medication should use the product under medical supervision
- May not be nutritionally appropriate for pregnant and lactating women and children under the age of five years.
- CONSUMPTION OF MORE THAN 3g/DAY, TOTAL OF STEROL, STANOLS, OR COMBINATION THEREOF, SHOULD BE AVOIDED

(10) (a) The label of a food, which has been treated with ionizing radiation, shall carry a written statement indicating the treatment in close proximity to the name of the food.

(b) Any food that has undergone the process of irradiation provided under Regulation 2.13 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, shall bear the Radura logo in green colour and following declaration on the label, namely: -

<p>PROCESSED BY RADIATION</p>  <p>Name of the Product: Purpose of Radiation Processing: Operating License No. : Batch Identification No. (BIN) (as provided by facility): Date of Processing.....”</p>

2. Specific requirements/ restrictions on manner of labelling

2.1 Labelling of infant milk substitute and infant food.-

- (1) An article of infant milk substitutes /infant foods, whose standards are not prescribed under Food Safety and Standards (Food Products standards and Food Additives) Regulations, 2011 shall be manufactured for sale, exhibited for sale or stored for sale only after obtaining the approval of such articles of food and its label from the Authority.
- (2) Without prejudice to any other provisions relating to labelling requirements contained in these regulations, every container of infant milk substitute or infant food or any label affixed thereto shall indicate in a clear, conspicuous and in an easily readable manner, the words “IMPORTANT NOTICE” in capital letters and indicating there under the following particulars, namely:-
 - (a) a statement “MOTHER’S MILK IS BEST FOR YOUR BABY” in capital letters. The types of letters used shall not be less than five millimetres and the text of such statement shall be in the Central Panel of every container of infant milk substitute or infant food or any label affixed thereto. The colour of the text printed or used shall be different from that of the background of the label, container as the case may be. In case of infant food, a statement indicating “infant food shall be introduced only (after the age of six months and up to the age of two years)” shall also be given;
 - (b) a statement that infant milk substitute or infant food should be used only on the advice of a health worker.

- (c) a warning that infant milk substitute or infant food is not the sole source of nourishment of an infant;
- (d) a statement indicating the process of manufacture (e.g spray dried) except in case of infant foods, instruction for appropriate and hygienic preparation including cleaning of utensils, bottles and teats and warning against health hazards of inappropriate preparations, as under:
 “Warning/ caution-Careful and hygienic preparation of infant foods/infant milk substitute is most essential for health. Do not use fewer scoops than directed since diluted feeding will not provide adequate nutrients needed by your infant. Do not use more scoops than directed since concentrated feed will not provide the water needed by your infant”.
- (e) the storage condition specifically stating “store in a cool and dry place in an air tight container” or the like (after opening use the contents within the period mentioned or the expiry date whichever is earlier);
- (f) the feeding chart and directions for use and instruction for discarding leftover feed;
- (g) Instruction for use of measuring scoop (level or heaped) and the quantity per scoop (scoop to be given with pack);
- (h) the protein efficiency ratio (PER) shall be minimum 2.5 if the product is claimed to have higher quality protein;
- (i) the specific name of the food additives, if permitted, shall be declared in addition to appropriate class names.
- (3) No containers or label referred to in 2.1(2) relating to infant milk substitute or infant food shall have a picture of infant or women or both. It shall not have picture or other graphic materials or phrases designed to increase the saleability of the infant milk substitute or infant food. The terms “Humanised” or “Maternalised” or any other similar words shall not be used. The Package and/or any other label of infant milk substitute or infant food shall not exhibit the words, “Full Protein Food”, “energy Food”, “Complete food” or “Health Food” or any other similar expression.
- (4) The containers of infant milk substitute meant for (premature baby (born before 37 weeks)/low birth weight infant (less than 2.5kg) or labels affixed thereto shall indicate the following additional information, namely:-
- (a) the words [PREMATURE BABY (BORN BEFORE 37 WEEKS) LOW BIRTH WEIGHT (LESS THAN 2.5 KG)] in capital letters along with the product name in central panel;
- (b) a statement “the low birth weight infant milk substitute shall be withdrawn under medical advice as soon as the mother’s milk is sufficiently available”; and
- (c) a statement “TO BE TAKEN UNDER MEDICAL ADVICE” in capital letters.
- (5) The product which contains neither milk nor any milk derivatives shall be labelled “contains no milk or milk products or milk derivatives” in conspicuous manner.
- (6) The container of infant milk substitute for lactose or lactose and sucrose intolerant infants or label affixed thereto shall indicate conspicuously “LACTOSE-FREE or SUCROSE-FREE or LACTOSE and SUCROSE-FREE” in capital letters and statement “TO BE TAKEN UNDER MEDICAL ADVICE”
- (7) The container of infant milk substitute meant for infants with allergy to cow’s /buffalo’s milk protein and proteins listed as potential allergen under regulation 4.2.2 clause (f) thereto shall indicate conspicuously “HYPOALLERGENIC FORMULA” and statement “TO BE TAKEN UNDER MEDICAL ADVICE” in capital letters on the label.
- (8) There shall be a surrounding line enclosing the declaration where the words “not recommended for babies under 6 months of age” are required to be used.
- (9) The distance between any part of the words “not recommended for babies under 6 months of age” surrounding the line enclosing these words shall not be less than 1.5 mm.

2.2 Labelling of edible oils and fats

- (1) The package, label or the advertisement of edible refined vegetable oils and fats shall not use any exaggerated expressions like “Super-Refined”, “Extra-Refined”, “Micro-Refined”, “Double refined”, “Ultra-Refined”.
- (2) Every package of vanaspati made from more than 30 percent of Rice bran oil shall bear the following label, namely: -

‘This package of vanaspati is made from more than 30 per cent Rice bran oil by weight’

- (3) A package containing annatto colour in vegetable oils shall bear the following label namely:—

Contains Annatto colour

(4) Every package containing an admixture of edible oils shall carry the following label declaration immediately below its brand name/trade name on front of pack, namely:-

<p>Blended Edible Vegetable Oil (Name and nature* of edible vegetable oil)% by weight (Name and nature* of edible vegetable oil).....% by weight</p>

(*i.e. in raw or refined form)

The font size of the label declaration “Blended Edible Vegetable Oil” shall not be less than 5 mm and for label declaration “Name and nature of edible vegetable oil.....% by weight”, font size shall not be less than 3mm:

Provided that the font size of the label declaration shall not be less than 10mm in case the net quantity of the edible oil contained in the packages is 5 litre and above.

There shall also be the following declaration in bold capital letters along with the name of product on front/central panel,-

NOT TO BE SOLD LOOSE

2.3 Coffee-Chicory Mixture

(1) Every package containing a mixture of coffee and chicory shall have affixed to it a label upon which shall be printed the following declaration:

Coffee blended with Chicory
 This mixture contains

Coffee..... Percent

Chicory..... Percent

(2) Every package containing Instant Coffee-Chicory mixture shall have affixed to it a label upon which shall be printed the following declarations:

Instant Coffee-Chicory mixture made from blends of coffee and chicory

Coffee..... Percent

Chicory..... Percent

2.4 Labelling of Milk and Milk products

(1) All Milk powders, skimmed milk powders and condensed milk or similar products, which can be reconstituted into liquid milk, shall carry the following declaration on label:

Not to be used as infant milk substitute
--

(2) In the case of condensed milk (sweetened and flavoured):

NOT TO BE USED FOR INFANTS BELOW SIX MONTHS
--

2.5 Labelling prohibitions on packaged drinking water and packaged mineral water

(1) No claims concerning medicinal (preventative, alleviative or curative) effects shall be made in respect of the properties of the product covered by the standard. Claims of other beneficial effects related to the health of the consumer shall not be made”

(2) The name of the locality, hamlet or specified place may not form part of the trade name unless it refers to packaged water collected at the place designated by that trade name.

(3) The use of any statement or of any pictorial device which may create confusion in the mind of the public or in any way mislead the public about the nature, origin, composition, and properties of such waters put on sale is prohibited.

2.6 Labelling of ‘Gluten Free’ products

- (1) The term "Gluten Free" shall be printed in the immediate proximity of the name of the product in the case of products described in regulation 2.14 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

“Gluten Free”

In case any gluten free product is manufactured in a plant where gluten containing products are also manufactured this shall be declared on the label as “Processed in a plant where gluten containing products are manufactured”

2.7 Labelling of Alcoholic Beverages

The labels of Alcoholic Beverages shall carry a statutory warning as mentioned below, printed in English language. In case, respective states wish the same to be printed in their local or regional language, the same shall be allowed, without the need for repeating the English version. The font size of statutory warning shall not be less than 1.5 mm for pack size up to 200 ml and 3 mm for pack size above 200 ml.

**CONSUMPTION OF ALCOHOL IS INJURIOUS TO HEALTH.
BE SAFE - DON'T DRINK AND DRIVE**

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./111/19]